खण्ड-386, अंक-2
गुरूवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1910
(24 मार्च, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1988)

खण्ड 386 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–50
सामान्य प्रशासन के बजट को बिना चर्चा कराये पारित किए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति तथा नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव	51–58
उत्तर प्रदेश विनियोग (1987–88 का द्वितीय अनपूरक) विधेयक, 1988 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	59
मद संख्या–5 की याचिकाओं का स्थगन	60
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	60
उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 (पुरःस्थापित)	61
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	62
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) तथा अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) (स्वीकृत) ..	62
विपक्ष द्वारा सदन में बारम्बार व्यवधान उत्पन्न करने तथा सदन का समय नष्ट करने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मन्त्री का सुझाव	63
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 89–सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 90–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण), अनुदान संख्या 91–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) तथा अनुदान संख्या 92–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ..	63
विश्वविद्यालय मान मन्दिर बेधशाला, वाराणसी में पी0ए0सी0 के जवानों द्वारा किए गए अवैध कब्जे के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा प्रदेश के कतिपय जिलों में ओलावृष्टि से कृषि को हुई क्षति के सम्बन्ध में निर्धारित चर्चा का स्थगन	64
नत्थियां	65–73

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 24 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
कान्ती सिंह विसेन, श्रीमती	खीरी	वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
गौरी शंकर, श्री	इटावा	शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
चारू शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	सईदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
धनराज यादव, श्री	बस्ती	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
नानक चन्द्र आजाद, श्री	मेरठ	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
पदमा सेठ, श्रीमती	सीतापुर	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
परमाई लाल, श्री	हरदोई	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
बैजनाथ, श्री	देवरिया	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
मान बहादुर सिंह, श्री	गोण्डा		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 1988 ई0

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

[नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के पुकारे जाने पर]

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आज प्रश्नोत्तरकाल को स्थगित कीजिए नियम 311 के अंतर्गत और कल जिस तरह से सामान्य प्रशासन का बजट पास किया गया है, वैसे नेता विरोधी दल को भी कटौती का प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन में बुलाया जाना चाहिए था। कल जिस तरह से यह हुआ यह बहुत अनुचित है । मेरा आपसे निवेदन है कि . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नत्थी-क, प्रश्न संख्या-1

(व्यवधान के मध्य श्री हुकुम सिंह द्वारा उत्तर पढ़ा गया तत्पश्चात् अनेक विपक्षी सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे। कई सदस्य नारे भी लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 2 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी । 12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । तदोपरान्त 12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

प्रदेश की सीमा के बाहर खाद्यन्नों को ले जाने पर राज्य सरकार का प्रतिबन्ध

**1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या खाद्य मंत्री एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सीमा के बाहर गेहूं, चावल आदि खाद्यान्नों को ले जाने पर राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार ने अपने खाद्य नियंत्रण आदेशों के अनुसार खाद्यान्न के आवागमन के सन्दर्भ में देश की सीमाओं पर ही नियंत्रण रखने का परिपत्र भेजा है ? यदि हां, तो प्रदेश सीमाओं पर खाद्यान्न आवागमन पर लगाये गये प्रतिबन्ध का औचित्य क्या है ? क्या सरकार प्रदेश की किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके इसको देखते हुए उक्त प्रतिबन्ध को वापस लेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं, प्रदेश की सीमा के बाहर गेहूं चावल को ले जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है । प्रदेश से बाहर केवल धान के संचरण पर प्रतिबन्ध लगा है।

प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से अन्तराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में गेहूं, धान व चावल के संचरण पर प्रतिबन्ध लगाया है । प्रदेश की सीमाओं पर धान के संबंध में प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य सूखे की स्थिति में केन्द्रीय पूल के लिए लेवी में अधिक से अधिक चावल प्राप्त करना है।

धान के सम्बन्ध में लगाए गये प्रतिबन्ध को वापस लेना जनहित में उचित नहीं है।

मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

**2–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय संजय मंच द्वारा प्रकाशित गम्भीर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, अनुचित प्रोन्नति किए जाने संबंधी प्रकाशन प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-3-86 सहित प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इसमें प्रमुख आरोप क्या थे ? अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मुख्य मंत्री पूरे प्रकरण की जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

जी हां ।

मुख्य अभियंता के विरुद्ध अकूत सम्पत्ति जमा करने, अपने बच्चों के नाम से एम0 आर0 एस0 बिल्डिंग प्रा0 लि0 नाम की कम्पनी चलाने, लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता का पद पालिका अभियन्त्रण सेवा का होने पर भी उनकी नियुक्ति किए जाने, प्राधिकरण के ठेकों को एक दल विशेष के लोगों को दिए जाने तथा विभिन्न लोगों के माध्यम से ठेकेदारी करने से सम्बन्धित है ।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री नगर (पौड़ी गढ़वाल) में जल निगम द्वारा लगाये गये इन्टेकवेल में सिल्ट अरेस्टर का क्षतिग्रस्त होना

*1–श्री मित्रसेन–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1982-83 में श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) में जल निगम द्वारा इनटेकवेल में लगाया गया सिल्ट अरेस्टर पहली बरसात में बह गया जिसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्ष 1982-83 में श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) में जल निगम द्वारा इन्टैकवेल में सिल्ट अरेस्टर नहीं लगाया गया था, वरन् ट्यूब सेटलर प्रयोग के रूप में लगाया गया था । लगभग पांच महीने कार्य करने के उपरान्त 21-8-82 को अलकनन्दा नदी में अप्रत्याशित बाढ़ के समय नदी के तेज बहाव में बहती हुई किसी भारी वस्तु से टकराने के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया ।

जी हां, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी, द्वारा इसकी जांच की गयी थी ।

जांच में इसके लिये किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2–श्री सरदार सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को कब्जा लेने के दिन से दिया जाना

*3–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जिस तिथि को किसानों की भूमि अधिग्रहीत करने का नोटी-फिकेशन किया जाता है उस दिन प्रचलित बाजार दर पर भूमि का मुआवजा दिया जाता है ? क्या यह सही है कि किसानों की भूमि का कब्जा नोटीफिकेशन के 5-6 वर्षों बाद लिया जाता है जिससे किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा बहुत ही कम मिलता है ? यदि हां, तो क्या जिस दिन किसानों की भूमि का कब्जा लिया जाय उस दिन प्रचलित बाजार दर पर भूमि का मुआवजा दिये जाने के आदेश जारी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मुआवजा प्रचलित बाजार दर पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दिया जाता है ।

सामान्यतः ऐसा नहीं होता है । किसानों को उनकी भूमि के प्रतिकर के अतिरिक्त देय सोलेशियम अधिभार तथा ब्याज भी दिया जाता है ।

जी नहीं ।

संशोधित भूमि अध्याप्ति अधिनियम में किसानों के हित को ध्यान में रखकर ही सोलेशियम एवं ब्याज के दर में वृद्धि कर दी गयी है एवं अधिभार भी दिये जाने का प्राविधान किया गया है । इन सब को मिलाकर किसान को मिलने वाला कुल प्रति-कर प्रचलित बाजार मूल्य के लगभग बराबर हो जाता है ।

[गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

फसलों के बुवाई के पूर्व ही फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा

*1–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या कृषि मंत्री का जानकारी है कि भारत सरकार की घोषित नीति के अनुसार समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत फसलों के समर्थन मूल्यों की घोषणा फसल की बुवाई से पहले ही जानी चाहिए? यदि हां, तो प्रदेश सरकार ने रबी 1987-88 के अनाज, दलहन तथा तिलहन एवं 1988 के गन्ना एवं खरीफ की फसलों हेतु, अपनी संस्तुति भारत सरकार को कब-कब भेजी है ? क्या प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को उसकी घोषित नीति के अनुसार इन फसलों का समर्थन मूल्य बुवाई के समय से कम से कम एक महीना पहले करने का कोई आग्रह किया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां ।

रबी 1987-88 में गेहूं, जौ, चना व राई सरसों हेतु संस्तुति अगस्त, 1987 में भेजी गई । वर्ष 1988-89 में गन्ना हेतु संस्तुति दिनांक 8-9-87 को भेजी गई । खरीफ 1988-89 की फसलों हेतु संस्तुति भेजने की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां । गत वर्षों में कृषि लागत और मूल्य आयोग को उनकी निर्धारित प्रश्नावली में उत्तर भेजते समय यह आग्रह भी किया गया था कि समर्थन मूल्यों की घोषणा बुवाई से काफी पहले होनी चाहिए ।

सहकारिता संबंधी वाद निस्तारण हेतु मेरठ में एक न्यायालय स्थापित करने की मांग

*2–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ में सहकारिता संबंधी वाद निस्तारण हेतु जनपद में कोई अलग से न्यायालय स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो उसने नवम्बर 87 तक कितने वाद निपटाये हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

जनपद मेरठ में सहकारिता सम्बन्धी आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु अलग से एक विशेष न्यायालय वर्ष 1979 से स्थापित है ।

नवम्बर, 1987 तक उक्त विशेष न्यायालय ने कुल 90 वाद निपटाये हैं; जिनमें जनपद मेरठ के 58 वाद शामिल हैं ।

हरदोई जनपद में मण्डी समिति माधोगंज के अंतर्गत साहिजनवा कुरसठ मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की मण्डी समिति माधोगंज के अन्तर्गत साहिजनवा कुरसठ मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं और स्वीकृति कब तक मिल जाएगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद हरदोई की मण्डी समिति माधोगंज के अंतर्गत साहिजनवा कुरसठ मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

प्रदेश में किसानों की फसलों का बीमा कराये जाने की मांग

*4–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के काश्तकारों की कृषि उपज को दैवी आपदाओं और आकस्मिक आपदाओं की मार से बचाने हेतु किसानों की फसलों का फसल बीमा करायेंगे ? यदि हां, तो फसल बीमा योजना का प्रारूप क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रदेश के काश्तकारों की फसलों का बीमा कराने के लिये भारत सरकार द्वारा संचालित फसल बीमा योजना प्रदेश में खरीफ 1985-86 से लागू की गई थी । भारत सरकार द्वारा इसे खरीफ 1988 में चलाए रखने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

भारत सरकार द्वारा इस पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक खरीफ 88 के लिए फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही स्थगित करने के निर्देश भी दिए गए हैं ।

पेयजल योजनान्तर्गत हैण्ड पम्प लगाने हेतु ग्रामों के चयन का मानक

*5–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि किसी ग्राम विशेष को इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगाने हेतु चयनित करने हेतु कौन से मानक अपनाए हैं ? क्या इन मानकों के आधार पर ग्राम चयन का काम जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा होता है ? यदि नहीं, तो ग्राम चयन की प्रक्रिया क्या है ? मंत्री जी कृपया यह भी जानकारी देंगे कि क्या ग्राम के चयन के बाद स्थल चयन में ग्राम सभा के प्रधान सम्प्रभू अधिकार रखते हैं ? यदि नहीं, तो विवाद की स्थिति में निर्णयक बिन्दु क्या है?

श्रीमती पद्मा ठठ–

सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल हेतु अभी उन्हीं ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की प्राथमिकता दी जा रही है जो पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित हो ।

ग्राम विशेष का चयन उपलब्ध वित्तीय संसाधन तथा ग्राम विशेष की पेयजल समस्या आदि के आधार पर किया जाता है ।

सूखा राहत कार्यों/हरिजन बस्ती पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा इंगित ग्रामों/हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं ।

जी नहीं ।

जल निगम तथा जिला प्रशासन के द्वारा उपरोक्तानुसार ।

किसी भी ग्राम में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाने हेतु स्थल का चयन संबंधित ग्राम प्रधान के सहयोग से किया जाता है तथा उनकी लिखित सहमति भी प्राप्त की जाती है और यदि स्थल के चयन में कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय जिलाधिकारी के माध्यम से करवाया जाता है ।

गंगा एक्शन प्लान वाराणसी में गाजीपुर तथा बलिया जनपदों को सम्मिलित करने की मांग

*6–श्री अमिताभ अनिल दूबे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल की खोज में वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि गंगा नदी वाराणसी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषित है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदूषण को दूर करने के एक्शन प्लान में वाराणसी क्षेत्र के गाजीपुर और बलिया नगरों को शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इन नगरों को एक्शन प्लान में शामिल किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं, वाराणसी क्षेत्र में गंगा नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित नहीं है ।

गंगा एक्शन प्लान में वाराणसी में 1990 तक प्रदूषण नियंत्रण का कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । एक्शन प्लान के प्रथम चरण में प्रदेश के केवल प्रथम श्रेणी के नगर लिये गये हैं। गाजीपुर व बलिया नगर को द्वितीय चरण की योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी अस्पतालों की लापरवाही से ब्लड डोनर्स के शोषण की रोकथाम

*7–श्री मित्रसेन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रक्त दान के नाम पर व्यवसायिक ब्लड डोनर्स का बिचौलियों द्वारा सरकारी अस्पतालों की लापरवाही से शोषण किये जाने का कोई मामला राजधानी लखनऊ में प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

जी नहीं ।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ द्वारा कुर्सी रोड पर आवंटित दुर्बल आय वर्ग के भवनों में ब्याज की दरों में भिन्नता

*8–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आवास विकास परिषद्, लखनऊ की कुर्सी रोड योजना के अन्तर्गत जिन भवनों का आवंटन दुर्बल आय वर्ग के लोगों को 30-3-1986 को हुआ उनके भवनों की अनुमानित लागत 32,000 रु0 के लगभग हो गयी ? यदि हां, तो क्या उनसे दुर्बल वर्ग के भवनों के लागत सीमा में परिवर्तन न करने के कारण 9.5 प्रतिशत के बजाय 13.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली की जा रही है जबकि उसके बाद के उसी श्रेणी के आवंटियों से 32,000 रु0 से भी अधिक मूल्य के भवनों पर मात्र 9.5 प्रतिशत ब्याज लिया जा रहा है ? यदि हां, तो 30-3-86 के दुर्बल आय वर्ग के आवंटियों से अधिक ब्याज किन कारणों से लिया जा रहा है ? क्या सरकार दुर्बल आय वर्ग के लोगों से समानता के आधार पर 9.5 प्रतिशत ब्याज की दर लेने का आवास विकास परिषद् को आदेशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जी हां, 1-6-86 के पूर्व ब्याज दर का निर्धारण सम्पत्ति के विक्रय मूल्य के आधार पर किया जाता था जिसके अनुसार 30,001 से 50,000 के मध्य विक्रय मूल्य वाली सम्पत्तियों पर ब्याज 13.5 प्रतिशत लिया जाता था । आवास एवं विकास परिषद् के संचालक मण्डल ने इस प्राविधान में दिनांक 1-6-86 से संशोधन कर दिया जिसके अनुसार भवनों के निर्माण लागत के आधार पर ब्याज 9.5 प्रतिशत लिया जाता है ।

जी नहीं । पुराने मामलों पर संशोधित नियम लागू नहीं है।

इलाहाबाद जनपद के कतिपय कालोनियों के जल निकासी हेतु सिंचाई विभाग से उपलब्ध कराया गया धन

*9–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि 24, 25 मार्च, 1987 को इलाहाबाद नगर के विकास हेतु आयोजित बैठक में जार्जटाउन, टैगोर टाउन, एल0 आई0 सी0 कालोनी अल्लापुर आदि क्षेत्रों में जल निकासी हेतु सिंचाई विभाग से धन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो कितना धन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? क्या सन् 88 की बरसात के पूर्व जल निकासी समस्या का समाधान हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जल निगम ने प्रश्नगत क्षेत्र की जल निकासी हेतु रु0 183 लाख की योजना सिंचाई विभाग को धन उपलब्ध कराने हेतु भेजी है। सिंचाई विभाग से धन प्राप्त होने पर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा ।

बलिया जनपद में आवास एवं विकास परिषद् की योजना

*10—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद के लिए उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् की योजना नहीं बनायी गयी है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ।

श्रीमती पद्मा सेठ—

बलिया जनपद के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की योजना बनाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ के शाखा प्रबन्धकों की ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन तथा प्रोन्नति का आधार

*11—श्री सरदार सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ के शाखा प्रबन्धकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची आज तक प्रकाशित नहीं हुई है ? यदि हां, तो फिर शाखा प्रबन्धकों में से उच्च पदों पर प्रोन्नतियां किस आधार पर की जाती रही हैं ? क्या सहकारी संस्थागत सेवा मंडल ने उनका अनुमोदन कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

शाखा प्रबन्धकों से उच्च पदों पर प्रोन्नतियां 28-5-77 को प्रकाशित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती रही हैं। सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा 27 शाखा प्रबन्धकों की प्रोन्नतियों का अनुमोदन इस शर्त पर कर दिया गया है कि शाखा प्रबन्धकों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका के निर्णय के अनुसार होगी ।

लखनऊ जनपद में आम उत्पादक किसानों के आमों की बिक्री की विशेष योजना एवं उसका प्रारूप

*12—कुमारी कृष्णा रावत—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार लखनऊ जनपद के आम उत्पादक किसानों के आमों की बिक्री बढ़ाने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्तमान में कोई विशेष योजना नहीं है। विस्तृत सर्वेक्षण कराकर योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं।

प्रदेश में मण्डी समितियों का चुनाव

*13–श्री राम सजीवन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मण्डी समितियों का चुनाव न कराने और उनका कार्य संचालन किसानों के प्रतिनिधियों को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि तहसीलदारों, परगनाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों को स्थानीय निकायों व मण्डी समितियों का कार्यभार सौंपे जाने से उनका कार्यभार बहुत अधिक बढ़ गया है जिससे कार्य निष्पादन में बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो राजस्व अधिकारियों को मण्डी समितियों के कार्यभार से कब तक मुक्त कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मण्डी समितियों के निर्वाचक मण्डल के पूर्ण न होने के कारण समितियों का गठन नहीं हो सका है।

तहसीलदारों को किसी भी मण्डी समिति का कार्यभार नहीं सौंपा गया है। परगनाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि मण्डी समितियों के कार्यभार सौंपे जाने से उनके कार्य निष्पादन में कुप्रभाव पड़ रहा है।

ऊपर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

*14–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[8वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी के 25 शैय्याओं वाले चिकित्सालय खोलने की मांग

*15–श्री गोपाल दास यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी के 4 शैय्याओं, 15 शैय्याओं एवं 25 शैय्याओं वाले अलग-अलग कितने चिकित्सालय हैं? क्या यह सच है कि पूरे प्रदेश में 25 शैय्याओं वाले एक भी यूनानी चिकित्सालय नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या भविष्य में 25 शैय्याओं वाले यूनानी चिकित्सालय खोलने की योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश में 4 शैय्याओं वाले आयुर्वेद के 1664, यूनानी के 178, 15 शैय्याओं के आयुर्वेदिक के 34, यूनानी के 3 तथा 25 शैय्याओं वाले आयुर्वेदिक के 50 चिकित्सालय कार्यरत हैं।

जी हां । चिकित्सालयों की स्थापना की योजना जिला सेक्टर के अन्तर्गत है और जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति ही चिकित्सालयों की स्थापना के बारे में निर्णय लेती है।

25 शैय्याओं वाले यूनानी चिकित्सालय खोलने का निर्णय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा ही लेना होगा ।

शिवपुरी कालोनी, बरेली के मानचित्र को स्वीकृति तथा कालोनी हेतु लिंक रोड

*16–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि बरेली नगर में स्थित शिवपुरी कालोनी, इज्जतनगर का 1984 में बरेली विकास प्राधिकरण ने मानचित्र स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो इस कालोनी की लिंक रोड न बनाये जाने के क्या कारण है ? क्या बी0 डी0 ए0 लिंक रोड बनाने की कोई व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

कालोनाइजर द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये ले-आउट प्लान में नैनीताल रोड से इस कालोनी तक जाने के लिए 40 फिट चौड़ा मार्ग होने के कारण लिंक रोड नहीं दर्शायी गयी थी । उक्त योजना प्राधिकरण की न होने के कारण बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा इस कालोनी में लिंक रोड नहीं बनायी जा सकती ।

परिवार कल्याण निदेशालय से छटनीशुदा कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने का प्रस्ताव

*17–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि परिवार कल्याण निदेशालय से निकाले गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करते समय उनको अवसर न देकर नये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्यों? क्या निकाले गये कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

खुर्जा, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण हेतु अधिग्रहीत ग्रामों का क्षेत्रफल तथा अधिग्रहण का औचित्य

*18–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुर्जा, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण की स्थापना से कितने ग्रामों की कितनी क्षेत्रफल भूमि विकास हेतु अधिग्रहीत की जायेगी ? बुलन्दशहर, खुर्जा नगर को नेशनल कैपिटल रीजन द्वारा सेटलाइट टाउन के प्रथम फेज में विकास हेतु चयन होने के पश्चात विकास प्राधिकरण की स्थापना का क्या औचित्य है ? क्या उपरोक्त तथ्यों को सामने रखते हुए बुलन्दशहर की जनता को कठिनाई से मुक्त करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि भविष्य में कितने ग्रामों की कितनी भूमि विकास हेतु अधिग्रहीत की जायेगी । नेशनल कैपिटल रीजन के प्रस्तावों एवं निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु एवं इस क्षेत्र के त्वरित तथा सुनियोजित विकास हेतु विकास प्राधिकरण की स्थापना का पूर्ण औचित्य है।

प्राधिकरण का गठन क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए किया गया है। इससे जनता को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा टी0 एस0 पी0 रासायनिक खाद की खरीद

*19–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा टी0 एस0 पी0 रासायनिक खाद क्रय की जाती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गत तीन वर्षों 1985-86, 86-87 तथा 87-88 में कितनी-कितनी खाद उक्त शाखा द्वारा क्रय कर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई गई और उस पर सरकार ने कितनी-कितनी सबसिडी दी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं । वर्ष 1980-81 के बाद से टी0 एस0 पी0 रासायनिक खाद पी0 सी0 एफ0 द्वारा नहीं क्रय की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

*20–श्री अचल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में दिनांक 21-1-88 को कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी थी? यदि हां, तो क्या उन नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा करायी जा रही है।

जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

अतारांकित प्रश्न

पश्चिमी अंचल में अगैती आलू पर छूट

1–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के पश्चिमी अंचल में 16 अक्टूबर, 1987 तक 33 सेन्टीग्रेड से 35 सेन्टीग्रेड तापमान रहा ? यदि हां, तो अगैती आलू पर 15 अक्टूबर, 87 को ही अन्तिम तारीख छूट प्राप्त करने की घोषित करने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि अगैती आलू बोने को सामान्य 26 से 28 सेन्टीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो ऐसी दशा में छूट का क्या हुआ ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

अगैती आलू की खेती पर छूट प्रदान करने के लिए अन्तिम तारीख 10 अक्टूबर, 1987 घोषित करने का कारण यह है कि सामान्यतः 10 अक्टूबर के बाद प्रतिवर्ष आलू की मुख्य फसल की बुवाई शुरू हो जाती है।

कृषकों को सलाह दी गई थी कि आलू बुवाई के लिए भूमि का 20 डिग्री सेंल्सियस तापमान उपयुक्त है, और जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो वही आलू की अगैती फसल की बुवाई करें।

कृषकों द्वारा दी गई छूट का उपयोग किया गया ।

फिरोजाबाद मण्डी समिति क्षेत्र में बने खड़न्जा सम्पर्क मार्ग को पक्का कराने की मांग

2–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद मण्डी समिति, जनपद आगरा ने वर्ष 1977-78 व 1978-79 और 1979-80 में जो सम्पर्क मार्ग फिरोजाबाद क्षेत्र में बनाये और जिन पर खड़ंजा हो चुका था इन्हें पक्का कराने के लिए वर्ष 1986-87 में धन आवंटित न करने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि जनपद आगरा की अन्य मण्डी समितियों ने सम्पर्क मार्गों को बनाने हेतु धन दिया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मण्डी समिति फिरोजाबाद द्वारा वर्ष 1986-87 में किसी भी सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने का प्रस्ताव मण्डी परिषद् को नहीं भेजा गया । अतः धन आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

स्वास्थ्य अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनाहट, आगरा के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

3–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनाहट के स्वास्थ्य अधिकारी (डा0 डी0 वी0 सिंह) के भ्रष्टाचार फर्जी नसबन्दी प्रमाण पत्र जारी कर नसबन्दी लक्ष्य पूरा करने आदि के सन्दर्भ में नागरिकों और उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त कर्मचारियों की तरफ से शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के माध्यम से माह सितम्बर-अक्टूबर और नवम्बर, 1987 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 27-11-87 प्राप्त हुआ है।

तथ्यों की जांच करायी जा रही है।

सचिव, जिला सहकारी बैंक, देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र

4–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, जिला सहकारी बैंक, देवरिया के भ्रष्ट कारनामों एवं अनियमितताओं की जांच कराये जाने एवं उन्हें निलम्बित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-9-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन स्तर से इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

एक कर्मचारी की अनियमित नियुक्ति सम्बन्धी आरोप थे । जाच करायी गयी और यह पाया गया कि बैंक के प्रशासक की सहमति से दिनांक 22-11-84 को दैनिक वेतन पर एक लिपिक की नियुक्ति की गयी, जिसे 16-8-85 को समाप्त कर दिया गया था ।

उ0 प्र0 जल निगम के मुख्यालय पर अवर अभियन्ताओं के गोपनीय प्रतिवेदन

5–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के विभिन्न संवर्गों के किन-किन अवर अभियन्ताओं का वर्ष 1970 से 1986 के बीच की चार साल या उससे अधिक की अवधि का गोपनीय प्रतिवेदन मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से उनकी सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण रूका हुआ है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक मुख्यालय पर उपलब्ध करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूची संलग्न है।

अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदनों को जल निगम मुख्यालय पर शीघ्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 65 पर)

उ0 प्र0 जल निगम के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों की अवमानना की नोटिस

6–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन न करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद व लखनऊ पीठ द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने की नोटिस जारी हुई है ? सम्बन्धित अधिकारियों पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों को पालन न करने के विरुद्ध शासन द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पीठ से उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ से उत्तर प्रदेश जल निगम के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री इन्द्र मोहन सहाय के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने की नोटिस जारी हुई है ।

मामला मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । अतः शासन द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

साधन सहकारी समिति लि0 उन्नाव के भवन निर्माण में धांधली

7–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले शुक्रवार के हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 112 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि भवन निर्माण में पाई गई खामियों के लिए किन अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी पाया गया है तथा क्या यह सत्य है कि सहायक अभियन्ता (विश्व बैंक परियोजना) की ही सांठगांठ/उपेक्षा से भवन में घटिया सामग्री प्रयुक्त हुई है? यदि हां, तो पूरे प्रकरण में सहायक अभियन्ता (विश्व बैंक परियोजना) के विरुद्ध क्या प्रमाण मिले हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

श्री अजीत कुमार शुक्ला अवर अभियन्ता को ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे कार्य पर उचित नियंत्रण न रख पाने के लिए दोषी पाया गया ।

सहायक अभियन्ता किसी सांठ-गांठ के दोषी नहीं पाये गये, किन्तु छत पड़ते समय उपस्थित न रहने के लिए उन्हें चेतावनी दे दी गयी है ।

गाजीपुर नगरपालिका की आय एवं व्यय का विवरण

8–श्री अमिताभ अनिल दुबे–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका में 1984-85 तथा 85-86 में विभिन्न स्रोतों से नगरपालिका को कितनी आय हुई तथा गाजीपुर नगरपालिका ने विकास कार्य में उक्त वर्षों में कुल कितनी धनराशि खर्च की ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका गाजीपुर को अपने निजी स्रोतों से वर्ष 1984-85 में रु0 24,94,959,92 तथा वर्ष 1985-86 में रु0 27,62,297.41 आय हुई ।

नगरपालिका गाजीपुर ने अपने निजी स्रोतों की आय से वर्ष 1984-85 में रु0 2,39,569.03 तथा 1985-86 में रु0 2,81,158.21 विकास कार्यों में व्यय किया ।

9–श्री गोपाल दास यादव–

[दिनांक 31-12-87 को अता0 प्र0 सं0 107 द्वारा उत्तरित]

राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज इलाहाबाद में स्वीकृत शैक्षिक पद तथा खाली पदों का औचित्य

10–श्री गोपाल दास यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में कुल कितने शैक्षिक पद सृजित हैं ? सी0 सी0 आई0 एम0 पाठ्यक्रम के अनुसार कितने पद होने चाहिए? क्या यह सही है कि सृजित पदों में से अधिकांश पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ? प्रान्तीयकरण के 5 वर्ष बीत जाने के उपरान्त अभी तक कितने रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई और कितने पद अभी तक खाली हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में वर्तमान में कुल 27 शैक्षिक पद स्वीकृत हैं । सी0 सी0 आई0 एम0 पाठ्यक्रम के अनुसार 42 शैक्षिक पद होने चाहिए ।

केवल 12 शैक्षिक पद रिक्त हैं ।

लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्तियां होती हैं ।

7 पदों पर नियुक्ति की गयी ।

7 पद पुराने तथा 5 नव सृजित पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति होनी बाकी है ।

तिब्बिया कालेज, लखनऊ हेतु शहर के बाहर नव निर्मित भवन की निर्माण योजना

11–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक तथा श्री मोहम्मद आकिल (उर्फ मुन्ना मियां)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बिया कालेज, लखनऊ को शहर से बाहर नव निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है जिसकी 10 एकड़ भूमि छिंदरिया ग्राम में लखनऊ विकास प्राधिकरण से अड़तालिस लाख रुपए में खरीदी जा रही थी ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । कथित परिव्यय न होने के कारण भूमि आज तक खरीदी नहीं जा सकी ।

जिला सेक्टर तथा स्टेट सेक्टर योजनाओं में आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय/चिकित्सालयों के लिए वार्षिक परिव्यय की स्वीकृत का अनुपात

12–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक तथा श्री मोहम्मद आकिल (उर्फ मुन्ना मियां)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जिला सेक्टर तथा स्टेट सेक्टर योजनाओं में विभाग द्वारा आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय/चिकित्सालयों के लिए वार्षिक परिव्यय स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो दोनों प्रकार के औषधालय/चिकित्सालय बराबर अनुपात में बनाए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय/चिकित्सालय जिला सेक्टर में आते हैं जिसकी स्थापना के बारे में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है । इन औषधालयों की स्थापना के बारे में क्या अनुपात रखा जाय यह निर्णय भी उसी समिति का होता है ।

तिब्बिया कालेज, लखनऊ तथा इलाहाबाद में छात्राओं हेतु छात्रावास की व्यवस्था

13–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक तथा श्री मोहम्मद आकिल (उर्फ मुन्ना मियां)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बिया कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद में छात्रायें भी शिक्षा पा रही हैं ? यदि हां, तो क्या इन छात्राओं के लिए छात्रावास का प्रबन्ध किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या छात्रावासों का तुरन्त निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । धनाभाव के कारण छात्रावास का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है । यह निर्माण, धन उपलब्ध होने के बाद ही हो सकेगा ।

तिब्बिया कालेजों के प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप आयुर्वेद की भांति यूनानी कालेजों का स्तर ऊंचा करने का प्रस्ताव

14–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक तथा श्री मोहम्मद आकिल (उर्फ मुन्ना मियां)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दोनों तिब्बिया कालेजों का प्रान्तीयकरण वर्ष 1984 में किया गया है ? यदि हां, तो आयुर्वेदिक कालेजों की भांति यूनानी कालेजों का स्तर भी ऊंचा करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रान्तीयकरण वर्ष 1982 में किया गया था ।

आयुर्वेद कालेजों की भांति यूनानी कालेजों का भी स्तर ऊंचा करने के लिए शासन द्वारा अपने सीमित साधनों में से इन कालेजों पर समय-समय पर यथा सम्भव धनराशि खर्च की जा रही है ।

तिब्बिया कालेज, लखनऊ में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था

15–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक तथा श्री मोहम्मद आकिल (उर्फ मुन्ना मियां)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि तिब्बिया कालेज, लखनऊ में पुस्तकालय तथा वाचनालय नहीं है तथा कक्ष भी केवल दो ही हैं ? अध्यापक स्टाफ भी स्वीकृत पदों की अपेक्षा कम है ? यदि हां, तो क्या इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह सही नहीं है कि तिब्बिया कालेज लखनऊ में पुस्तकालय एवं वाचनालय नहीं है । इस कालेज में व्याख्यान कक्ष की संख्या–5 है । शैक्षिक पद 19 है जिसमें केवल 4 रिक्त हैं । इन पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग को लिखा जा चुका है । शैक्षिक पदों में वृद्धि हेतु हाल ही में 7 पद और सृजित किए गए हैं ।

श्री गिरजा सिंह यादव, चौकीदार मण्डी समिति यूसुफपुर, गाजीपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

16–श्री अफजाल अंसारी–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 30-10-87 जो गिरजा सिंह यादव चौकीदार, मण्डी समिति, यूसुफपुर, जनपद गाजीपुर की सेवा के संबंध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-10-87 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि श्री गिरजा सिंह यादव, चौकीदार मण्डी समिति, यूसुफपुर, जनपद गाजीपुर की सेवा के संबंध में एक अन्य पत्र दिनांक 29-9-87 प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

शाहजहांपुर में सीवर लाईन कार्य की प्रगति

17–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलोत्सारण योजना के अंतर्गत शाहजहांपुर नगर में सीवर लाईन का कार्य जो कि एक वर्ष से चल रहा है, के कार्य में क्या प्रगति है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

अब तक ट्रंक सीवर के 1600 मीटर लम्बाई की सीवर लाइन बिछाने एवं पंपिंग स्टेशन का आंशिक कार्य किया जा चुका है ।

तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन तथा प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

18–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिनांक 15-8-85 को जिला प्रशासन के आश्वासन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने आन्दोलन स्थगित किया था और दिनांक 25-8-85 से इसे पुनः आरम्भ किया था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को प्रेषित पत्रांक 344/85, दिनांक 2-9-85 पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

माननीय सदस्य के शिकायती पत्र दिनांक 2-9-85 पर अपर निदेशक कुमाय मण्डल से जांच कराई गई है । जांच आख्या पर अन्तिम आदेश हो रहे हैं ।

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने नाम से व अपने परिवार के सदस्यों के नाम से सूर्य नगर कालोनी में भूमि का आवंटन

19–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने नई दिल्ली के सीमा पर सूर्य नगर कालोनी, गाजियाबाद का सबसे महत्वपूर्ण भूखण्ड अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम आवंटित करा लिया है ? क्या यह सही है कि उन्हीं भूखण्डों के निकट पार्क रोड आदि के नाम पर विकसित करने के लिए भारी धन व्यय किया जा रहा है ? यदि हां, तो शासन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पद के दुरुपयोग की शिकायत की जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम लाल गुप्ता, मुख्य लेखाधिकारी नगर महापालिका लखनऊ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

20–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम लाल गुप्ता, मुख्य लेखाधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ के आवास बंगला नं0-2 (मेटरनिटी होम हजरतगंज, लखनऊ में स्थित) पर राज्य विद्युत परिषद् के प्रवर्तन दल लखनऊ द्वारा 9 जुलाई, 1987 को छापा मारा गया था ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 87 को माननीय मंत्री जी को सम्बोधित शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जी0 एम0 जावेद सहायक कृषि अभियन्ता, बैतालपुर देवरिया का चरित्र पंजिका के रख-रखाव में अनियमितताओं के सम्बन्ध के पत्र

21–श्री सफीउर्रहमान अंसारी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग में चरित्र पंजियों के रख रखाव में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री जी0 एम0 जावेद, सहायक कृषि अभियन्ता, बैतालपुर, देवरिया का अक्टूबर/नवम्बर, 1987 का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री जी0 एम0 जावेद का अक्तूबर/नवम्बर, 1987 का कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जो कृषि विभाग में चरित्र पंजिकाओं के रख रखाव में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में हो। श्री जावेद ने एक अनुस्मारक पत्र दिनांक 30-10-87 प्रेषित किया था जो आयुक्त एवं प्रशासक, रामगंगा समादेश को सम्बोधित है और प्रति कृषि निदेशक को पृष्ठांकित है जो वर्ष 1984-85 की प्रतिकूल प्रविष्टि के के विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के सम्बन्ध में है। श्री जावेद की प्रश्नगत प्रतिकूल प्रविष्टि समादेश काल की है। प्रत्यावेदन आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक, रामगंगा समादेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है ।

विकास खण्ड पथरदेवा, देवरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग

22–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास खण्ड में प्रत्येक 30 हजार की आबादी पर बनने वाले अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कहां-कहां पर बनाये जाने की योजना है ? क्या ग्राम पकहां में भी चिकित्सालय निर्माण का प्रश्नकर्ता का प्रस्ताव मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सालयों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक चिकित्सालय का निर्माण कर सकेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत विकास खण्ड में प्रत्येक 30 हजार की आबादी पर नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर अवस्थी, रामनगर पकहा एवं बजरिया में बनाये जाने प्रस्तावित है। वर्तमान में रामपुर अवस्थी में निर्माण कार्य प्रारम्भ है। ग्राम रामनगर पकहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन-निर्माण जिला योजना 1988-89 में प्रस्तावित है।

23–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[दिनांक 25-2-88 को अता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

बुलन्दशहर के मोहल्ला साठा में गलियों की सड़कों के निर्माण की मांग

24–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, बुलन्दशहर के साठा मोहल्ले में कितनी गलियों में सड़कों का निर्माण अब तक नहीं हुआ है? क्या उपरोक्त मोहल्ले की गलियों की सड़कों का निर्माण प्राथमिकता पर कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका, बुलन्दशहर के मोहल्ला साठा में अधिकांश गलियां खड़ंजा लगाकर पक्की करायी जा चुकी है। मोहल्ला साठा में मात्र एक-दो गलियां कच्ची है।

उपरोक्त कच्ची गलियों को आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान प्राप्त होने पर नगरपालिका द्वारा पक्का करा दिया जायगा ।

बुलन्दशहर के कोट मोहल्ले में एक पुलिया निर्माण की मांग

25–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, बुलन्दशहर के ऊपर कोट मोहल्ले के सामने काली नदी पर पैदल पुलिया नहीं होने से जनाजा दफनाने हेतु कब्रिस्तान तक पहुंचने हेतु 6 कि0 मी0 दूरी पर नागरिकों को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है? क्या नरसल घाट के मोहल्ले के सामने काली नदी पर तत्काल पैदल पुलिया निर्माण कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जनाजा दफनाने हेतु नागरिकों को 6 कि0मी0 नहीं, बल्कि काली नदी के किनारे की आबादी के दोनों ओर बने पुलों से होकर कब्रिस्तान जाने में 3 कि0 मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है।

नरसल घाट के सामने काली नदी पर पुलिया बनवाने के लिए नगरपालिका प्रयासरत है परन्तु उसकी वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण उक्त कार्य को कराना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

धन उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर में पेयजल की व्यवस्था कराये जाने की मांग

26–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, बुलन्दशहर के अन्तर्गत कितने मोहल्लों में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? क्या नगरपालिका की पेयजल योजना का विस्तार करके उपरोक्त मोहल्लों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका बुलन्दशहर के निम्नांकित पुराने मोहल्लों में पेयजल व्यवस्था नहीं है:–

(1) मो0 साठा का 1/3 भाग

(2) मो0 टाण्डा का 1/2 भाग

(3) मो0 धमेड़ा रोड, मुस्तफा गढ़ी

इसके अतिरिक्त नगर के कुछ बाहरी इलाकों में नयी कालोनियां बन गयी हैं जैसे-प्रीति बिहार कालोनी, लक्ष्मीनगर कालोनी, बाईपास रोड पर आदर्श नगर एवं प्रदर्शनी स्थल के पास मो0 कोठियात का भाग एवं अनूपशहर रोड पर इम्पीरियल ट्रान्सपोर्ट से आगे नगरसीमा तक तथा रेलवे लाईन के पार की बस्तियों जैसे-भूड़, चांदपुर, नयांगांव, बहलिमपुरा, बलीपुरा इत्यादि मोहल्लों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है।

मो0 मुस्तफागढ़ी तथा साठा (इस्लामाबाद) के कुछ भाग में पेयजल की व्यवस्था हेतु मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत योजना बनायी गई है जिसका कार्यान्वियन धन उपलब्ध होने पर नगरपालिका द्वारा किया जायेगा।

नगर के कुछ बाहरी इलाकों में बनी कालोनियों तथा रेलवे लाइन के पार की बस्तियों में धनाभाव के कारण फिलहाल पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

नगर पालिका बुलन्दशहर के चुंगी कर के आय-व्यय का विवरण

27–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर नगरपालिका को चुंगी कर से कितनी धनराशि की आय वर्ष 1985-86 तथा 87 में हुई ? उपरोक्त धनराशि का व्यय प्रति वर्ष किन योजनाओं में हुआ ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका, बुलन्दशहर को वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में चुंगीकर से क्रमश: 25,95,202 रु0 तथा 28,15,081 रु0 की आय हुई ।

नगरपालिका की विभिन्न मदों से प्राप्त आय का लेखा अलग और विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि का लेखा अलग रखा जाता है। ऐसा कोई लेखा नहीं रखा जाता जिससे यह ज्ञात हो सके कि चुंगी से आय किस मद में व्यय की गयी।

बलिया जनपद में पेयजल व्यवस्था वाले ग्रामों की संख्या

28–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार यह बतायेगी कि बलिया जनपद में कुल कितने गांव में अप्रैल, 1987 तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा सकी है ? शेष गांवों में कल तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की योजना है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

बलिया जनपद में अप्रैल, 1987 तक 1107 समस्याग्रस्त एवं 185 असमस्याग्रस्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है ।

शासन की नीति के अनुसार अभी समस्याग्रस्त ग्रामों को प्राथमिकता दी जा रही है । वर्तमान स्थिति के अनुसार जनपद बलिया के सभी 1118 समस्याग्रस्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त 229 अन्य ग्रामों में भी पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है ।

29–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह–

[दिनांक 9-7-87 को अता0 प्र0 सं0 59 द्वारा उत्तरित]

ग्राम दुबहर, बलिया में लगे हैण्डपम्पों की स्थिति

30–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में जल निगम द्वारा वर्ष 1987 में दुबहर गांव में 12 लगाये गये हैण्डपम्पों में 10 हैण्डपम्प पानी नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

बलिया जनपद के दुबहर ग्राम में जल निगम द्वारा वर्ष 1987 में लगाए गए सभी हैण्ड पम्प पानी दे रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 जल निगम में रिक्त अभियन्ताओं के पदों की संख्या

31–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जलनिगम में विभिन्न श्रेणी के अभियन्ताओं के कौन-कौन से पद रिक्त है और उन को पदोन्नति करके कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्तमान में उत्तर प्रदेश जल निगम में विभिन्न श्रेणी के अभियन्ताओं के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	पदनाम		रिक्त पद
1–मुख्य अभियन्ता	(स्तर–1)	–	1
2–मुख्य अभियन्ता	(स्तर–2)	–	1
3–अधीक्षण अभियन्ता	(वि0/यां0)	–	1
4–(अ) अधिशासी अभियन्ता	(सिविल)	–	38
(ब) अधिशासी अभियन्ता	(वि0/यां0)	–	4
5–सहायक अभियन्ता	(सिविल)	–	10
6–अवर अभियन्ता	(सिविल)	–	112

नई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों पर शासन द्वारा रोक लगाने के कारण रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव नहीं हो पाया है ।

शासन द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने पर लगाई गई रोक अभी हटाई नहीं गई है।

इलाहाबाद के कतिपय अस्पतालों में पांच वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत डाक्टरों की संख्या

32–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के तेज बहादुर सप्रु अस्पताल व मोती लाल नेहरू अस्पताल व टी0 वी0 अस्पताल तेलियरगंज में कितने डाक्टर शासन द्वारा निर्धारित अवधि से ज्यादा समय से (5 वर्ष से अधिक) कार्यरत है? इतनी ज्यादा अवधि तक वहां पर कार्यरत रहने के कारण क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास प्राधिकरण इलाहाबाद में भवनों के मानचित स्वीकृत करने की कार्यवाही

33–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में इस समय कितने भवनों के मानचित्र स्वीकृत होने के लिये जनवरी, 87 तक जमा किये गये है ? उन पर कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में माह जनवरी, 1987 तक 709 भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति हेतु दाखिल किये गये । सभी मानचित्र प्राधिकरण द्वारा निस्तारित किये जा चुके हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रतनपुर, गोरखपुर के कर्मचारियों का सलेक्शन ग्रेड

34–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रतनपुर जनपद गोरखपुर में किन-किन कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड/समयबद्ध वेतन मान दिया गया और कितने कर्मचारियों को अभी तक सेलेक्शन ग्रेड समय बद्ध वेतन मान नहीं दिया गया ? इसके क्या कारण है ? क्या उनको उक्त सेलेक्शन ग्रेड/समयबद्ध वेतन मान 1985 से देय था ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को कब तक दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिन कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है, उनकी सूची संलग्न है । केवल दो कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है। उन्हें नियमतः अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड शीघ्र स्वीकृत किये जाने के विषय में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित कर दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 66 पर)

जनपद बस्ती प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनकटी के चिकित्साधिकारी डा0 उमेश यादव के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

35–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 उमेश यादव चिकित्सा अधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनकटी जनपद बस्ती के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा उ0 प्र0 शासन को दिये गये दिनांक 21-7-87 एवं पंजीकृत पत्र संख्या 1627, 1628 दिनांक 9-12-87 के शिकायती पत्रों की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो कब और क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उक्त जांच कब कराई जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 उमेश यादव चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकटी जनपद बस्ती के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को दिये गये पत्र दिनांक 21-7-87 प्राप्त हुआ । इस पर जांच के निर्देश कर दिये गये हैं ।

स्व0 श्री ओम प्रकाश शुक्ल एन0 एम0 ए0 देबरा-गोरखपुर की पत्नी को सेवा में लेना तथा उनके देयकों का भुगतान

36–श्री फागू चौहान तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री ओम प्रकाश शुक्ल, एन0 एम0 ए0 देबरा, गोरखपुर का देहान्त उनके सेवाकाल में दिनांक 22 मई, 1986 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनकी बेवा श्रीमती उर्मिला शुक्ला को उनके अवशेष समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया तथा शासन के स्थायी आदेशानुसार श्रीमती उर्मिला शुक्ला को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा में नियुक्त भी कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्रीमती शुक्ला को उनके पति का समस्त अवशेष भुगतान कब तक कर दिया जाएगा एवं उन्हें सरकारी सेवा में कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । श्री शुक्ल की मृत्यु के पूर्व का अवशेष वेतन तथा बोनस की धनराशि का भुगतान उनकी पत्नी श्रीमती उर्मिला शुक्ला को किया जा चुका है । सामूहिक बीमा एवं भविष्य निधि में जमा धनराशि के भुगतान के बारे में तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती उर्मिला शुक्ला द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु कोई आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

लक्ष्मण झूला (टिहरी गढ़वाल) के सीराम धाम का निर्माण

37–श्री सुरेश चन्द्र तथा श्री जय नारायण तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि तपोवन, लक्ष्मण झूला (टिहरी गढ़वाल) के सीताराम धाम पर प्राधिकरण अधिनियम शासनादेश संख्या-540/11-5-86-23/1/डी-5/085, दिनांक 2-5-86 जारी होने के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहा एवं कई मंजिलों का निर्माण शासनादेश के बाद हुआ? शासनादेश के बाद कितने तलों का निर्माण किया गया एवं उनके तलों का भुगतान कब-कब किया गया ? क्या मंत्री जी इसकी निष्पक्ष जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को दंडित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

अधिसूचना सं0-540/11-5-86-23(1) डी0ए0-85, दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा उपाध्यक्ष एवं सचिव की तैनाती अगस्त 1986 में हुई । अतः यह निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है कि अधिसूचना जारी होने के पश्चात निर्माण कार्य जारी रहा अथवा नहीं या कितनी मंजिलों का निर्माण हुआ ।

अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अक्टूबर 1986 में भवन के निरीक्षण के समय 14वीं मंजिल पर छत डालने का कार्य चल रहा था । भवन स्वामी जो एक निजी ट्रस्ट है द्वारा किये गये भुगतान की जानकारी शासन को नहीं है ।

उपाध्यक्ष व सचिव की तैनाती अगस्त 1986 को हुई थी और भवन का निरीक्षण अक्टूबर, 1986 में हुआ था । प्रथम दृष्टा प्राधिकरण का कोई अधिकारी दोषी नहीं प्रतीत होता अतएव दण्ड दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार के प्रतिष्ठान एच0 सी0 एल0 से राज्य सरकार द्वारा रासायनिक खादों का क्रय एवं दरों का निर्धारण

38–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी तथा कितनी-कितनी रासायनिक खादें प्रति वर्ष 1985-86, 86-87 में सरकार द्वारा भारत सरकार के प्रतिष्ठान एच0 सी0 एल0 से खरीदी गयी है तथा उसकी दरें क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

एच0 सी0 एल0 से उक्त अवधि में कृषि विभाग द्वारा कोई उर्वरक क्रय नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

39–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[दिनांक 17-3-88 को अता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

जिला झांसी में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु डीजल जनरेटर दिये जाने की मांग

40—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल कल इकाई एरच तथा समथर, जिला झांसी में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जनरेटर दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्या एरच एवं समथर की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों स्थानों पर डीजल जनरेटर उपलब्ध कराने के आदेश करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण जनरेटर हेतु धन स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है। स्थानीय निकायों को स्वयं अपने संसाधनों से जनरेटर इत्यादि की व्यवस्था करना चाहिए।

झांसी जिले में सी0 एच0 जी0 के पद पर कार्यरत कार्य कर्ताओं के मानदेय के भुगतान की मांग

41—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में सी0 एच0 जी0 के पद पर कार्यरत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जो पचास रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था जुलाई, 1986 से अब तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो यह मानदेय कब तक दे दिया जायेगा तथा अब तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। वर्ष 1987-88 के मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। माह जून 1986 में भारत सरकार से सी0 एच0 जी0 की नियुक्तियों के संबंध में संशोधित नीति के प्राप्त होने के फलस्वरूप मानदेय के भुगतान किये जाने में अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ।

जनपद झांसी सहायक निबंधक द्वारा सहकारी समितियों के प्रशासकों को अवमुक्त करके पुनः नियुक्त करना

42—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी, जिले में सहायक निबंधक द्वारा किन-किन सहकारी समितियों के पूर्व नियुक्त प्रशासकों को किन-कारणों से मार्च, 85 से अब तक उनके पदों से हटाया गया तथा हटाये गये प्रशासकों को ही पुनः उसी समिति का प्रशासक कुछ दिन बाद नियुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो किन समितियों में हटाये गये किन प्रशासकों को कितने दिन बाद पुनः उसी समिति में प्रशासक मनोनीत किया गया? क्या प्रत्येक के इस प्रकार हटाकर पुनः मनोनयन का औचित्य बताने की कृपा करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

झांसी जिले की सहकारी समितियों में जिला सहायक निबन्धक द्वारा मार्च, 85 से अब तक हटाये गये तथा उनमें से उन्हीं समितियों में पुनः नियुक्त किये गये प्रशासकों की सूचना संलग्नक में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 67-68 पर)

श्री श्याम लाल गुप्त मुख्य लेखाधिकारी नगर महापालिका से लेखा सम्बन्धी कार्य न लिया जाना तथा गोपनीयता के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

43–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि निदेशक स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा दिनांक 8-1-1988 को शासनादेश के अन्तर्गत एक अ0 शा0 पत्र श्री श्याम लाल गुप्ता, मुख्य लेखाधिकारी नगर महापालिका, लखनऊ से लेखा सम्बन्धी कार्य न लिये जाने हेतु निर्गत किया गया ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति उक्त अधिकारी को किस आधार पर प्राप्त हुई? क्या मंत्री जी आफीशियेल सिक्रेट एक्ट के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी (श्री श्याम लाल गुप्ता) के विरुद्ध निर्धारित कार्यवाही के अनुरूप कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां,

मामले में छान बीन की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रहलाद का अहाता गृह संख्या 227/330 कानपुर को मलिन बस्ती घोषित करने की मांग

44–श्री मैनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित प्रहलाद का अहाता गृह सं0 227/330 तथा अन्य को मलिन बस्ती घोषित न किये जाने का क्या कारण है? क्या इस सम्बन्ध में सचिव, मुख्य अभियंता सक्षम अधिकारी, कानपुर विकास प्राधिकरण ने मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित करने हेतु पूर्व में संस्तुति दे रखी है ? इसे कब तक मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

कानपुर स्थित प्रहलाद का अहाता गृह संख्या-227/330 का भू-उपयोग महायोजना के अनुसार सब-सेन्ट्रल-बिजनेस-डिस्ट्रिक्ट अर्थात व्यावसायिक है । इस कारण मलिन बस्ती घोषित करना सम्भव नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् कालोनी राजाजीपुरम लखनऊ के कतिपय भवनों के ऊपर से बिजली तार हटाने की मांग

45–श्री बिहारी लाल दोहरे–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी राजाजी पुरम लखनऊ के दुर्बल आय वर्ग के भवन संख्या-सी 5476 से सी-5512 तक के आवंटियों/अध्यासियों के भवनों के ऊपर से आगे पीछे दोनों ओर बिछाई गयी विद्युत लाइन, जिनके खम्भे अधिकांशतः उक्त आवंटियों को आवंटित भवन/भूमि के अन्दर हैं, उन्हें हटवाने के कथित आवंटियों के प्रार्थना-पत्र शासन तथा परिषद् को वर्ष 1986-87 में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त अध्यासियों, उनके परिवारों की बिजली से जान-माल की रक्षा हेतु बिजली के उक्त खम्भों को शीघ्र हटवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं । केवल भवन संख्या सी-5504 के सामने लगे विद्युत पोल के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास एवं विकास परिषद् की राजाजीपुरम कालोनी का हस्तानान्तरण विभिन्न संगठनों को कर दिया गया है । अब यहां के बिजली के समस्त कार्यों की देख-रेख उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा की जा रही है। अतः बिजली के उक्त खम्भों को आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री तारा सिंह, जिला कृषि अधिकारी गाजियाबाद के विरुद्ध उच्च अधिकारी द्वारा शिकायत पर कृत कार्यवाही

46–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशालय के शासन को सम्बोधित अर्ध-शासकीय पत्रांक गबन-554/2254/ई-1 दि0 1-3-86 द्वारा जिस जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध लाखों रुपयों के मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की थी उनका नाम व पद स्थान क्या है और उनके विरुद्ध क्या-क्या मामले शासन को प्राप्त हुए? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उच्च अधिकारी की संस्तुति के पश्चात भी उक्त अधिकारी को निलम्बित अथवा आरोपित न कर पुनः जिला कृषि अधिकारी क्यों बनाया गया है? क्या यह सही है कि लगभग पिछले चार वर्षों से उक्त अधिकारी के विरुद्ध जब-जब गम्भीर अनियमितताओं व गबन के मामले प्रकाश में लाये गये तब ही इनको अच्छी-अच्छी जगह तैनात किया जाता रहा है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अपर कृषि निदेशक (सामान्य) के अ0 शा0 पत्रांक गबन-5547/ई-2254/ई-1 दिनांक 1-3-86 द्वारा जिस जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रतियां भेज कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था उनका नाम श्री तारा सिंह है। वर्तमान में वे जिला कृषि अधिकारी गाजियाबाद हैं। शिकायतें मुख्य रूप से गबन/दुर्विनियोग, धन/सम्पत्ति अर्जित करने, प्रभारियों की नियुक्ति विभागीय आदेशों के विरुद्ध करने आदि से सम्बन्धित थी।

श्री तारा सिंह को शासनादेश संख्या 672/12-1-85-290/85 दिनांक 26-3-87 द्वारा हरदोई से सम्बन्धित अनियमितताओं के मामले में निलम्बित किया गया। अनुशासनिक कार्यवाही में समस्त पहलुओं पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-6174/12-1-87-290/85 दिनांक 26-2-88 द्वारा श्री तारा सिंह की सेवा में बहाल करते हुए चरित्र पंजिका में कठोर भर्त्सनात्मक प्रविष्टि अंकित की गयी है।

श्री तारा सिंह की विगत चार वर्षों की तैनाती का विवरण निम्नवत् है :—

1–जिला कृषि अधिकारी, कानपुर (देहात) 14-7-83 अप0 से 21-7-86 तक।

2–जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद 14-8-86 से 31-3-87 तक।

3–दिनांक 1-4-87 से 29-2-88 तक निलम्बित।

4–जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद 1-3-88 से अब तक।

स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल इलाहाबाद में डायलिसिस के लिए आये मरीजों के संख्या तथा आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराने की मांग

47–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में वर्ष 87-88 के जनवरी, 88 तक कितने डायलिसिस के मामले आये और कितनों की डायलिसिस की गई ? क्या इसको और प्रभावी करने के लिये अन्य आधुनिकतम उपकरण व यंत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इलाहाबाद के स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में वर्ष 1987-88 के जनवरी, 1988 तक डायलिसिस के 120 मामले आये और 90 मरीजों की डायलिसिस की गई।

इसको और प्रभावी करने के लिए आधुनिक उपकरण एवं यंत्र (आर्टिफिशियल किडनी आदि) विदेश से आयात किये जा चुके हैं।

श्री सेवाराम शुक्ल सहायक कृषि निरीक्षक वर्ग-3 के बकाया वेतनों का भुगतान

48–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि सहायक कृषि निरीक्षक (वर्ग 3) श्री सेवा राम शुक्ल द्वारा उ0 प्र0 पब्लिक सर्विस डिब्यूनल III में लखनऊ में दायर वाद संख्या 1341/111/82 के निर्णय दिनांक 6-11-86 (न्यायिक सदस्य श्री अर्जुन देव द्वारा निर्णीत) में प्रतिपक्षी (राज्य सरकार) को निर्देशित किया गया है कि वादी को 7213·91 पैसे ब्याज सहित तुरन्त अदा कर दिया जाय ? यदि हां, तो रुपया कब अदा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। श्री सेवा राम शुक्ला, सहायक कृषि निरीक्षक (वर्ग-3) द्वारा अधिकरण में दायर वाद तथा इस पर हुये निर्णय दिनांक 6-11-86 के सम्बन्ध में विधिक परामर्श अब प्राप्त हो गया है, और निर्णयानुसार भुगतान किये जाने हेतु कृषि निदेशक को निर्देश दिए जा रहे हैं । भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

तत्कालीन सहायक कृषि निरीक्षक लखीमपुर खीरी ग्रेड-111 के वेतन का भुगतान

49–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर खीरी में कार्यरत सहायक कृषि निरीक्षक (समूह 111) को उनके इस पद पर रायबरेली में तैनात रहने के वर्ष 76 का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है तथा उनकी सेवा पुस्तिका पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो क्यों तथा वेतन कब तक दे दिया जायगा एवं सेवा पुस्तिका कब तक पूर्ण कर दी जायगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत कर्मचारी को वर्ष 76 में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण कुछ अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था । उस कर्मचारी ने लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका दायर की थी जिसमें मा0 अधिकरण का निर्णय दिनांक 6-11-86 को हुआ था। उस निर्णय के सम्बन्ध में विधिक परामर्श अब प्राप्त हो गया है और निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश कृषि निदेशक को भेजे जा रहे हैं। वेतन का भुगतान शीघ्र हो जायेगा, तथा वेतन भुगतान एवं दक्षतारोक पार कराये जाने के संबंध में आदेश हो जाने के उपरान्त सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां कर दी जायेंगी ।

बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा किसानों को क्षति पूर्ति का भुगतान

50–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहकारी समितियों द्वारा ऋण लेने पर अनिवार्य रूप से फसली बीमा लागू है ? यदि हां, तो फसलों के क्षति होने पर बीमाकृत किसानों की क्षति होने पर बीमाकृत किसानों की क्षति पूर्ति कैसे की जाती है ? इस प्रकार की बीमा कम्पनियों ने कितने मामलों में वर्ष 1986-87 में क्षति-पूर्ति का भुगतान किया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी, हां ।

तहसील को इकाई मानते हुए क्राप कटिंग के आधार पर थ्रेशोल्ड उत्पादन के सापेक्ष वास्तविक उत्पादन में गिरावट आने पर कृषि निदेशालय द्वारा भेजे गये आंकड़ों के आधार पर जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गिरावट के अनुपात में क्षति पूर्ति की जाती है। थ्रेशोल्ड उपज विगत पांच वर्षों की औसत उपज की 80 प्रतिशत मानी जाती है।

जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा रबी 1986-87 में 8 जिला सहकारी बैंकों को मु0–14,80,446·315 एवं खरीफ 1986-87 में 8 जिला सहकारी बैंकों को मु0–55,01,742·75 की क्षतिपूर्ति दी गई है ।

51–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में जच्चा-बच्चा केन्द्रों की संख्या

52–श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में सन् 1985-86 तथा 1986-87 में कितने जच्चा बच्चा केन्द्र अब तक खुले हैं तथा कितने 1987-88 में खोले जायेंगे और यह कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद बांदा के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1985-86 में 7 जच्चा-बच्चा केन्द्र तथा वर्ष 1986-87 में 16 जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले गये हैं जिनमें से वर्ष 85-86 के 5 केन्द्रों ने तथा वर्ष 86-87 के 3 केन्द्रों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

वर्ष 1987-88 में इस क्षेत्र में कोई जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने की योजना नहीं है ।

53–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[दिनांक 17-3-88 को अता0 प्र0 सं0 114 द्वारा उत्तरित]

54–श्री राज किशोर सिंह–

[दिनांक 25-2-88 को अता0 प्र0 सं0 56 द्वारा उत्तरित]

नगर पालिका जौनपुर में जलकल प्रतिष्ठान में पम्प आपरेटर की पाइप लाइन निरीक्षक के पद पर नियुक्ति

55–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि स्वायत्त शासन अनुभाग-3 उ0 प्र0 शासन के तत्कालीन अनुसचिव (श्री बी0 डी0 अग्रवाल) के पत्र सं0–1132/9-3-80-38 डब्लू0/79 दि0 16 अप्रैल, 1980 में जिलाधिकारी, जौनपुर को नगरपालिका जौनपुर के जल-कल प्रतिष्ठान के पम्प आपरेटर श्री केदार नाथ यादव की पाइप लाइन निरीक्षक के पद पर की गयी नियुक्ति को नियमों के प्रतिकूल होने के कारण समाप्त करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो किस नियम व आदेश के आधार पर (श्री केदार नाथ यादव) वर्तमान समय में नगरपालिका जौनपुर जलकल प्रतिष्ठान में पाइप लाइन निरीक्षक के पद पर कार्यरत है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका, जौनपुर के पम्प आपरेटर श्री केदार नाथ यादव को जिलाधिकारी द्वारा पाइप लाइन निरीक्षक के पद पर की गई नियुक्ति को समाप्त करने के आदेश जिलाधिकारी, जौनपुर को शासनादेश संख्या-6209/9-3-38-डब्लू/79, दिनांक 8 जनवरी, 1980 एवं शासनादेश संख्या-1132/9-3-80-38-डब्लू/79, दिनांक 16 अप्रैल, 1980 द्वारा दिये गये थे ।

शासन ने पुनः विचार करके विशेष परिस्थितियों में श्री केदार नाथ यादव की जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा पाइप लाइन निरीक्षक के पद पर की गयी नियुक्ति को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि श्री यादव नगरपालिका, जौनपुर में केवल स्थानीय व्यवस्था के रूप में कार्यरत रहेंगे और उन्हें अनर्ह (अनक्वालिफाइड) पाइप लाइन निरीक्षक का वेतनमान अनुमन्य होगा । इसी आधार पर श्री केदार नाथ यादव वर्तमान समय में नगरपालिका, जौनपुर के जलकल प्रतिष्ठान में पाइप लाइन निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं ।

सहकारी बैंकों के वर्गीकरण का मापदण्ड

56–श्री मित्रसेन–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि ओ0 एण्ड आर0 रेलवे कोआपरेटिव बैंक तथा अवध सहकारी बैंक लि0 के वर्ष 85-86 के आडिट में मुख्य लेखा परीक्षा विभाग के आडीटरों द्वारा संस्था को ''बी'' से 'सी' तथा 'सी' से 'बी' की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उपर्युक्त बैंकों के वर्गीकरण में कौन सा मापदण्ड अपनाया गया है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

ओ0 एण्ड आर0 आर0 (उत्तरी रेलवे) प्राइमरी सहकारी बैंक लि0, लखनऊ को वर्ष 85-86 के आडिट में ''सी'' श्रेणी से ''बी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया तथा अवध सहकारी बैंक लि0, लखनऊ को वर्ष 85-86 के आडिट में ''बी'' से ''बी'' में ही वर्गीकृत किया गया है ।

उपरोक्त प्राइमरी/नगरीय बैंकों का वर्गीकरण निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश लखनऊ के से परिपत्र संख्या-सी-98/एस0 ए0-2/अधि0 दिनांक 27-1-86 में निर्धारित मानक के आधार पर किया गया है ।

आगरा के धाधूपुरा से कर्मना मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

57–श्री विजय सिंह राणा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे गुरुवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 74 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में मंडी समिति के धन से बनायी गयी धांधूपुरा, कर्मना मार्ग के निर्माण हेतु दी गयी कुल धनराशि 1.20 लाख में से सा0 नि0 वि0 पर शेष बची धनराशि 19.678 25 तथा ठेकेदारों पर शेष रुपया 1.389 की वसूली अभी तक हो पायी है अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि की वसूली हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस धनराशि का व्ययभार किस विभाग पर पड़ेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार से रु0 1,389 की वसूली हो चुकी है किन्तु मण्डी समिति द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग से रु0 19,678.25 तथा रु0-1,389 की वसूली नहीं हो पायी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पी0 एल0 ए0 में जमा है । अभी यह धनराशि व्यय नहीं हुई है । अतः इस का व्यय भार किसी भी विभाग पर नहीं पड़ेगा ।

बुलन्दशहर नगरपालिका के देवीपुरा मोहल्लों में सड़क तथा नालियों का निर्माण

58–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बुलन्दशहर के अन्तर्गत देवीपुरा 1 व 2 मोहल्लों में कितनी गलियों में खड़ंजा नालियों का निर्माण नहीं हुआ है ? क्या उपरोक्त मोहल्लों में गरीब वर्ग के परिवारों की सुविधा हेतु गलियों की सड़कों का निर्माण कार्य तत्काल प्राथमिकता पर कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिक, बुलन्दशहर के अन्तर्गत देवीपुरा 1 व 2 मोहल्लों में स्थित पुरानी आबादी की सभी गलियों में खड़ंजा नालियों का निर्माण हो चुका है । मोहल्ला देवीपुरा-1 में दो गलियां कच्ची है। मोहल्ला देवीपुरा–2 में जहां पर नई आबादी बस रही है, केवल उन्हीं कुछ बस्तियों में गलियां कच्ची हैं।

मोहल्ला देवीपुरा 1 में काली नदी के बांध के किनारे की दो कच्ची गलियों का निर्माण न्यायालय में वाद दायर होने के कारण रूका है । वाद निर्णीत होने पर नगरपालिका द्वारा इन दोनों गलियों के निर्माण की कार्यवाही की जायगी ।

मोहल्ला देवीपुरा–2 की वही गलियां कच्ची हैं, जहां अभी भवनों का निर्माण हो रहा है । भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ही इन गलियों का निर्माण कार्य नगरपालिका द्वारा किया जा सकेगा ।

59–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

60–श्री अफजाल अंसारी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में जिलाधिकारी स्तर से पेयजल संकटग्रस्त अथवा समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची किस आधार को मानकर बनायी गयी है ? वर्ष 1985-86, 86-87 और 87-88 में मुहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के किन-किन ग्रामों को पेयजल समस्याग्रस्त सूची में रखा गया है और इनमें पीने के पानी के रूप में क्या-क्या व्यवस्था की गयी ? विकास खण्ड भांवरकोल के ग्राम सियाड़ी, ग्राम सुरनी, ग्राम मसैनी भरटोल, ग्राम सोनवानी इत्यादि गांव में पीने के पानी के क्या-क्या साधन हैं ? यदि नहीं है, तो कब तक इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची निम्न मानकों के आधार पर बनाई गई है ।

1–ऐसे ग्राम जहां पेयजल का स्रोत 1.6 कि0मी0 या उससे दूर स्थित हो ।

2–पर्वतीय क्षेत्रों में वे ग्राम जहां पेयजल का श्रोत 100 मीटर ऊंचाई या निचाई पर स्थित हो ।

3–ऐसे ग्राम जहां भूमिगत जल भूतल से 15 मीटर या उससे अधिक गहराई पर उपलब्ध हो ।

4–ऐसे ग्राम जो हैजा, अतिसार एवं अन्य पानी से पैदा होने वाली बिमारियों से ग्रसित हो ।

5–ऐसे ग्राम जहां के स्त्रोत से उपलब्ध जल खारी हो या जहां फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो ।

जिलाधिकारी से समय समय पर प्राप्त सूचिओं को संकलित कर समस्याग्रस्त ग्रामों की एक सूची बनाई गई थी जिसमें से 1985-86, 86-87 व 87-88 में लाभान्वित ग्रामों के नाम तथा उनमें की गई व्यवस्था का विवरण संलग्न है ।

विकास खण्ड भांवर कोल का ग्राम सियाड़ी समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं है । अतः उस ग्राम में पेयजल के संबध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । समस्याग्रस्त ग्राम सूरनी पहले से ही कनुवान ग्राम समूह पेयजल योजना के अर्न्तगत लाभान्वित है। समस्याग्रस्त ग्राम मसौनी भखेल में तीन इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । ग्राम सोनवनी समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं है परन्तु हरिजन बस्ती पेयजल योजना के अन्तर्गत एक इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प इस ग्राम की हरिजन बस्ती में लगाया गया है तथा सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत एक हैण्ड पम्प सामान्य बस्ती में लगाया गया है ।

ग्राम सियाड़ी में पेयजल व्यवस्था धन की उपलब्धता के अनुसार की जायगी ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 69–71 पर)

पिथौरागढ़ के कतिपय ग्रामों में जल निगम अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का निर्माण

61–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या राज्य मंत्री, नगर विकास को प्रश्नकर्ता के पत्रांक स्वाएत्त/198-3/87, दिनांक 28-3-87 द्वारा राजेन्द्र सिंह ग्राम खतेड़ा गंगोली हाट, जनपद पिथौरागढ़ का जनपद पिथौरागढ़ में उपरोक्त खतेड़ा ग्राम में पेयजल पाइप में पानी चलाये जाने से पूर्व ही जल निगम अधिकारियों द्वारा सफल घोषित किये जाने विषयक जानकारी मिली है ? यदि हां, तो इस विषय में दिनांक 11 जून, 87 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु ग्राम खतेड़ा को वर्ष 1982-83 में वास्तव में लाभान्वित करने के पश्चात् ही लाभान्वित घोषित किया गया था ।

वर्ष 1985-86 में पाइप लाइन के ऊपर कुछ क्षेत्र में खड़न्जा बिछाने का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया गया था जिससे पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हुई । इस कार्य को पुनः करने में जनवरी, 1987 तक सफलता मिली क्योंकि ग्राम वासियों ने खड़ंजा उखाड़ने नहीं दिया था । तभी से योजना चालू है ।

श्री जाहिद अली वार्ड ब्वाय रा0 चिकित्सालय मुहमूदाबाद सीतापुर को उपमुख्य चिकित्साधिकारी तृतीय द्वारा वेतन न दिये जाने की जांच

62—श्री कमलेश कुमार पाठक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पुरुष चिकित्सालय महमूदाबाद सीतापुर के वार्ड ब्वाय श्री जाहिद अली को माह अगस्त से उपमुख्य चिकित्साधिकारी तृतीय वेतन नहीं दिया जा रहा है जबकि कर्मचारी बराबर कार्यरत रहा है ? वेतन न देने का क्या औचित्य है क्या इसकी जांच मुख्य चिकित्साधिकारी सीतापुर द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला चिकित्सालय महमूदाबाद सीतापुर में पर्चा बनाने की फीस

63—श्री कमलेश कुमार पाठक—

क्या चिकित्सा मंत्री को जानकारी है कि महिला चिकित्सालय महमूदाबाद, सीतापुर में कार्यरत कम्पाउण्डर (श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डे) द्वारा पर्चा बनाकर देने की फीस एक रुपया ली जाती है ? क्या तहसील स्तर पर चिकित्सालय में पर्चा बनवाने की फीस पड़ती है ? क्या इसकी जांच मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर से कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दयाराम हरिजन, नरैनी, बांदा के नाम फर्जी कर्ज विषय पत्र पर कृत कार्यवाही

64—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-8-87 का पत्र संख्या घ, 02091 बांदा जनपद के तहसील नरैनी के ग्राम बंजारा (पुंगरी) के श्री दयाराम हरिजन के संलग्न पत्र के साथ सहकारी समिति शाखा नहरी द्वारा फर्जी कर्ज के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या इसकी जांच मण्डल स्तरीय किसी अधिकारी से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री श्याम लाल गुप्ता मुख्य लेखाधिकारी नगर महापालिका लखनऊ के आवास आवंटन का आधार और शर्त

65–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा

श्री मैनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम लाल गुप्ता, मुख्य लेखाधिकारी, नगर महापालिका लखनऊ का कब और किस शर्त पर कहां आवास आवंटित किया गया ? क्या आवंटन की शर्त में यह भी स्पष्ट था कि आवास के रख-रखाव व मरम्मत आदि पर होने वाला समस्त व्यय भार महापालिका अपने संसाधनों से स्वयं वहन करेगी ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम लाल गुप्ता मुख्य लेखाधिकारी के आवास के रख रखाव और मरम्मत आदि पर 1983 से जनवरी, 1988 तक कितना व्यय महापालिका द्वारा किया गया और कितना किराया श्री श्याम लाल गुप्ता से महापालिका को प्राप्त हुआ ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

श्री श्याम लाल गुप्ता को महापालिका द्वारा नवल किशोर रोड स्थित प्रसूत गृह के डाक्टरों के आवास में से एक आवास कार्यालय के आदेश संख्या-701/एस0 एन0 ए0/आर0, दिनांक 30-7-1983 द्वारा आबंटित किया गया था । आबंटन पत्र में केवल यह शर्त रक्खी गयी थी कि स्थानान्तरण के उपरांत उक्त आवास महापालिका को सौंप देंगे तथा उन्हें नियमानुसार अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत या स्टैण्डर्ड रेन्ट के दर से जो भी कम हो, प्रति माह किराया महापालिका कोष में जमा करना होगा ॥ भवन के रख-रखाव व मरम्मत आदि पर होने वाला व्यय किसके द्वारा वहन किया जायेगा इसका कोई उल्लेख आवंटन पत्र में नहीं है।

उक्त अवधि में भवन की मरम्मत तथा रंगाई पुताई पर रु0 9,138·56 पैसे तथा दरवाजे व खिड़की की मरम्मत पर रु0 7,397·65 पैसे महापालिका द्वारा व्यय किया गया । उक्त भवन का किराया कब्जा पाने की तिथि 1 नवम्बर, 1983 से जनवरी, 1988 तक कुल रु0 8,744 प्राप्त हुआ ।

आगरा जनपद में ताज नगरी योजना के अंतर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण में विलम्ब का कारण

66–श्री विजय सिंह राणा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 75 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में प्रस्तावित ताजनगरी योजना के अंतर्गत विकास प्राधिकरण आवासीय व्यावसायिक सामूहिक और पर्यटन हेतु किन भू-खण्डों का विकास कर रहा है ? उसके लिए कुल कितनी जमीन अधिग्रहीत की गयी है और कब ? भू-खण्डों के विकास का कार्य किस स्तर तक पहुंच गया है और वह कब तक पूर्ण रूपेण विकसित कर दिया जायेगा ? आवासीय भवनों के निर्माण की अब तक क्या स्थिति है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रस्तावित ताजनगरी योजना के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधायों और पर्यटन हेतु जिन भूखण्डों के विकास की योजना बनाई गई है उसके लिये कुल 155 बीघा 1 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि दिनांक 10-12-87 एवं 19-12-87 को अधिगृहीत की गई है ।

भूखण्डों के विकास का कार्य शुरु किये जाने के लिये सड़कों के निर्माण हेतु मिट्टी एवं गिट्टी के कार्य के लिए निविदाएं मांगी गई हैं। विकास का कार्य लगभग 3 वर्ष में पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

आवासीय भवनों के निर्माण के लिये शासन/हडको/स्वंग वित्त पोषित योजना के माध्यम से ऋण धन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

परिवार कल्याण निदेशालय में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

67–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण निदेशालय में विगत वर्ष में दैनिक वेतन पर नियुक्तियों हेतु आयोजित टंकण परीक्षा में से किसी को नियुक्त न करके मनमाने ढंग से तृतीय श्रेणी में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन करके नियुक्तियां की गयी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? तथा उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 जल निगम के अवर अभियन्ताओं का सेलेक्शन ग्रेड

68–श्री रणजीत तथा

श्री मैनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में किन-किन अर्हताओं को रखने वाले अवर अभियन्ता सेलेक्शन ग्रेड के पात्रता की श्रेणी में आते है व उपरोक्त अर्हता रखने वाले विद्युत यान्त्रिक संवर्ग के कितने-कितने अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड देने से वंचित रखा गया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियन्ताओं का 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उच्च वेतनमान एवं 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर समयमान वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्त श्रेणी में आने वाले विद्युत/यांत्रिक सम्वर्ग के 5 अवर अभियन्ताओं को उच्च वेतनमान तथा 2 अवर अभियन्ताओं को समयमान वेतनमान संतोषजनक सेवा न होने के कारण नहीं दिया गया ।

प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र में वर्णित विषयों पर कार्यवाही

69—श्री रणजीत तथा
श्री मैनेजर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20 अगस्त, 1987 के संदर्भ में अनुसचिव श्री एम0 सी0 श्रीवास्तव नगर विकास अनुभाग-3, विकास भवन लखनऊ के अ0 शा0 प0 सं0 53-सी0 एम0/9-3-87, दिनांक 12 अक्टूबर, 1987 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को भेजे जाने की जो सूचना दी गयी थी उस पत्र में वर्णित समस्त विषयों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-8-87 में दिये गये सुझावों पर जल निगम द्वारा विचार किया गया तथा यह पाया गया कि जनपद गोरखपुर, बस्ती एवं फैजाबाद में सृजित जल निगम की मैकेनिकल शाखाओं में कार्य न होने की बात सत्य नहीं है। यह बात भी सत्य नहीं पायी गई कि केवल सिविल शाखाओं को ही धन आवंटित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीकान्त उपाध्याय भू0 पू0 जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

70—श्री रणजीत—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीकान्त उपाध्याय, भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी देवरिया एवं वर्तमान में विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि भवन लखनऊ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-12-1987 सचिव कृषि विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित आरोपों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जांच हेतु कृषि निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क-2 लगाये गये हैण्ड पम्पों की मरम्मत की मांग

71—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प जिला बुलन्दशहर के निम्न ग्रामों में 1-बकापुर, 2-धोरा, 3-मडुराई, 4-अकलपुरगढ़ी, 5-मयान, 6-सावोटा, 7-चटबुटरा, 8-ख्वाजपुर, 9-चारोली-विकास खण्ड जेवर 12-ग्राम हुसैनपुर विकास खण्ड जहांगीराबाद, 13-बूंच

चंदिया, नगलिया नित्यानंदपुर शक्करपुर, विकास खण्ड ऊंचागांव कितने माह से संचालित नहीं है ? शासन द्वारा मरम्मत हेतु धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद मरम्मत में विलम्ब करने वाले लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करते हुये उपरोक्त हैण्डपम्प की तत्काल मरम्मत करायेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्याना नगरपालिका जनपद बुलन्दशहर में सुलभ शौचालय निर्माण योजना

72–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना नगरपालिका जनपद बुलन्दशहर में सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जनता की सुविधा हेतु यह योजना शासन द्वारा कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी ?

श्रीनती पद्मा सेठ–

जी हां ।

फिलहाल धनाभाव के कारण उक्त योजना नगर पालिका, स्याना में स्वीकृत करना सम्भव नहीं है ।

नगर पालिका बुलन्दशहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या

73–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बुलन्दशहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई जनसंख्या की रोक थाम हेतु क्या प्रभावशाली कार्यवाही की गयी? गत वर्ष कितने व्यक्तियों को आवारा कुत्तों ने काटा एवं कितने व्यक्तियों की इस कारण मृत्यु हुई ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका, बुलन्दशहर में आवारा कुत्तों की संख्या प्रायः नगण्य है। फिर भी शिकायत प्राप्त होने पर आवारा कुत्तों को पकड़वाया जाता है ।

पालिका अभिलेख के अनुसार गतवर्ष किसी भी नागरिक को आवारा कुत्ते ने नहीं काटा। फलस्वरूप इस कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

बुलन्दशहर में कचहरी के निकट सुलभ शौचालय का निर्माण का प्रस्ताव

74–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बुलन्दशहर के साठा मोहल्ला, देवीपुरा मोहल्ला व कचहरी में जनता की सुविधा हेतु सुलभ शौचालय का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर पालिका, बुलन्दशहर द्वारा मोहल्ला साठा एवं मोहल्ला देवीपुरा में जनता की सुविधा के लिये सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण पूर्व में ही कराया जा चुका है। कचहरी के निकट एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। शीघ्र ही।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु कीमत सीवेज योजना

75–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बुलन्दशहर की जल भराव की समस्या के समाधान हेतु यू0 पी0 जल निगम द्वारा नगर की सीवेज योजना शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की है ? यदि नहीं, तो क्या तत्काल सर्वेक्षण कराकर नगरपालिका के लिये सीवेज की विकासशील योजना स्वीकृति करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

76–श्री गौरी शंकर भइया–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

77–श्री काशी सिंह ऐरी–

[6वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 96 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद को टाउन एरिया घोषित करने की मांग

78–श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र को टाउन एरिया बनाने हेतु शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मोहम्मदाबाद को टाउन एरिया घोषित करने की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां। प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव तक टाउन एरिया के सृजन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, प्रश्नगत प्रतिबन्ध समाप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर मोहम्मदाबाद में टाउन एरिया सृजन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

साधन सहकारी समिति लि0 तेनुआ बसनहरा विकास क्षेत्र राम नगर, बस्ती के सचिव के विरुद्ध गबन का आरोप

79–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0 तेनुआ बसनहरा, विकास क्षेत्र रामनगर, बस्ती के सचिव ने ग्राम तुकीलिया उर्फ करमौहिया के

ऐसे कितने व्यक्तियों के नाम ऋण दर्शाया है जिनका अस्तित्व समिति क्षेत्र में नहीं है ? सचिव के विशेष आडिट रिपोर्ट 1984-85 में रु0 2700/- रुपये के अनियमितता व गबन का आरोप है जिस पर जिला सहायक निबन्धक, बस्ती ने अपने पत्रांक 416816 सह0 88-89 दिनांक 6 जनवरी, 83 को सहायक विकास अधिकारी रामनगर को जांच करके प्रथम सूचना निकटम थाना में दर्ज कराने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो उसका पालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर नगर की जलापूर्ति में सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि

80–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-1-88 के संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम निर्माण शाखा शाहजहांपुर ने रेलवे लाइन के उत्तर स्थित मोहल्ला-राम नगर, दिलाजाक, हाथी-थान जलालनगर तथा निगोही रोड की जलापूर्ति के स्थायी सुधार हेतु अनुदानित राशि को किस मद में खर्च किया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु विशेष रूप से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है बल्कि शाहेजहांपुर नगर की जलापूर्ति में सुधार हेतु रुपये 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके विरुद्ध दो नलकूपों का निर्माण कराया गया है ।

81–श्री मित्रसेन–

[दिनांक 18-6-87 को अता0 प्र0 सं0 29 द्वारा उत्तरित]

82–श्री मित्रसेन–

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निशात टाकिज शाहजहांपुर की नाली एवं फुटपाथ पर बनी दुकानों की जांच

83–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 24-2-87 जो कि "निशात" टाकिज शाहजहांपुर की नाली व फुटपाथ पर बनी अट्ठारह (18) दुकानों से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

18 दुकानों के सम्बन्ध में जिला स्तर पर जांच की जा रही है । जांच पूर्ण हो जाने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

नगर पालिका शाहजहांपुर को सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग

84–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका शाहजहांपुर को सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 1987-88 में कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई तथा उस राशि को उसी मद में खर्च किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्ष 1987-88 में नगरपालिका, शाहजहांपुर को सड़कों के निर्माण हेतु रु0 16,50,000/- का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया है जो उसी मद में व्यय किया जा रहा है, किसी अन्य मद में नहीं ।

विनियमित क्षेत्र शाहजहांपुर में कार्यरत यांत्रिक अवर अभियन्ता (श्री आविद) के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

85–श्री नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मास्टर प्लान के विनियमित क्षेत्र शाहजहांपुर में कार्यरत यांत्रिक अवर अभियन्ता (श्री आविद) के विरुद्ध डाक प्रमाण के अन्तर्गत भेजे गये, शिकायती पत्र दिनांक 27-1-88 मोहन लाल अरोरा 67 रामनगर, शाहजहांपुर जिस पर प्रश्नकर्ता की टिप्पणी भी है, पर नगराधीश-शाहजहांपुर द्वारा आविद अवर अभियन्ता के विरुद्ध, भूमि उपभोक्ताओं के उत्पीड़न को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

विनियमित क्षेत्र, शाहजहांपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री आविद के विरुद्ध श्री मोहन लाल अरोरा 67 रामनगर शाहजहांपुर का शिकायती पत्र दिनांक 27-1-88 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नही उठता है ।

उप निदेशक कृषि निदेशालय (श्री ब्रह्मा नन्द शर्मा) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

86–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उप निदेशक, कृषि निदेशालय (श्री ब्रह्मा नन्द शर्मा) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 355 उनको ता0 1-4-86 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस मामले में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला कृषि अधिकारी श्री तारा सिंह व कृषि रक्षा अधिकारी हरदोई के विरुद्ध लगाई गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा संरक्षण

87–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तारा सिंह, जिला कृषि अधिकारी व कृषि रक्षा अधिकारी हरदोई के कार्यालय आडिट रिपोर्ट में कुल 109 प्रस्तरों में जो 5,70,374/- रुपयों की गम्भीर आपत्तियां थीं, उनमें से मण्डलीय कार्यालय की संस्तुति के बिना ही लगभग दो लाख रुपयों की आडिट आपत्तियां सीधे कृषि निदेशालय द्वारा निरस्त कर दी गयीं जबकि उक्त समय में मण्डलीय उप कृषि निदेशक, लखनऊ, उप निदेशक, कृषि रक्षा भी थे ? मण्डलीय कार्यालय की नियम विरुद्ध उपेक्षा कर दोषी अधिकारियों को इस प्रकार का संरक्षण दिये जाने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

आडिट रिपोर्ट दिनांक 6-2-84 पर मण्डलीय उप कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) एवं उप कृषि निदेशक (कृषि रक्षा मुख्यालय) द्वारा परिपालन आख्या पर अपनी संस्तुति अंकित कर, दिनांक 8-9-84 को कृषि निदेशालय को प्रेषित की थी जिसके परिप्रेक्ष्य में पूर्ण परीक्षणोपरान्त निस्तारण नियमानुसार किया गया है । दोषी अधिकारियों को संरक्षण दिये जाने की कोई बात नहीं है ।

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र सवायजपुर, हरदोई में वित्तीय घाटे पर नियन्त्रण

88–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र सवायजपुर (जनपद हरदोई) पर कितने रुपयों का घाटा जनपदीय ढीले नियंत्रण के कारण हुआ और क्या इस लगभग 3 लाख रुपयों की हानि को, शासन दोषी जिला कृषि अधिकारी से वसूलने का आदेश पारित करेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

राजकीय बीज सम्बद्धर्न प्रक्षेत्र सवायजपुर (जनपद-हरदोई) पर प्रश्नगत वर्षों में हानियां निम्नवत रहीं :–

वर्ष	हानि की धनराशि
1980–81	54,668
1981–82	7,408
1982–82	1,98,316

इस प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि मार्च, 1979 में प्राप्त हुई थी । वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में हुई हानि के सम्बन्ध में श्री राम मूर्ति प्रसाद चौधरी, प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है तथा मामले की जांच उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) लखनऊ द्वारा की जा रही है । वर्ष 1982-83 में हुई हानि के लिये सम्बन्धित कर्मी श्री कुंवर विजय सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है । जांचोपरान्त स्वयं हानि के कारण की जानकारी करने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त हानियों के सम्बन्ध में तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई को जांचोपरान्त दोषी नहीं पाया गया ।

जिला कृषि अधिकारी श्री तारा सिंह द्वारा वर्ग-3 के कर्मचारियों को बीज भण्डारों का चार्ज दिया जाना तथा गबन के आरोप में निलम्बन

89–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी सीतापुर व लखीमपुर खीरी द्वारा श्री शफीक अहमद सहायक कृषि निरीक्षक की सेवा पुस्तिका/चरित्र पंजिका में श्री अहमद को पत्रांक 1582 दिनांक 3-9-81 द्वारा बीज भण्डार का चार्ज न देने को अंकन करने पर भी श्री तारा सिंह, जिला कृषि अधिकारी, हरदोई ने उक्त की अनदेखी करते हुए कृषि निदेशक शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने आदेश-7138 दिनांक 24-6-82 द्वारा टोडरपुर, राजकीय कृषि बीज भण्डार का चार्ज देकर 1,28,382/- रुपयों का गबन कराया और इसके छुपाने के लिए श्री अहमद की चरित्र पंजिका में उन्हें पैकेज योजना में कार्य करते दिखाया ? क्या यह भी सही है कि श्री नत्थी सिंह को बीज भण्डार भखनी व श्री रमेश चन्द को बीज भण्डार हरदोई का चार्ज भी सरकारी आदेशों के विपरीत दिलाकर लगभग 3 लाख से अधिक रुपयों का गबन कराया गया ? यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट जिला कृषि अधिकारी को कब तक निलम्बित कर मुकदमा चलाया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी श्री तारा सिंह द्वारा सर्व श्री शफीक अहमद सिद्दीकी, रमेश चन्द्र सेंगर तथा नत्थी सिंह वर्ग-3 के कर्मचारियों को बीज भण्डारों का चार्ज दिया जबकि उनको बीज भण्डारों पर तैनात करने हेतु मना किया गया था । श्री सिद्दीकी द्वारा बीज भण्डारागार टोडरपुर पर लगभग रु0 1,28,382/- का गबन करने तथा श्री सेंगर द्वारा केन्द्रीय बीज भण्डार हरदोई पर लगभग रुपये 2,82499.52 की शासकीय क्षति/दुर्विनियोग तथा अन्य गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये । श्री नत्थी सिंह द्वारा भखनी बीज भण्डार पर गबन करने का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया ।

तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी हरदोई श्री तारा सिंह को 26 मार्च, 1987 को निलम्बित किया गया था और अनुशासनिक जांच प्रारम्भ की गयी थी । जांच अधिकारी से जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात उस पर सम्यक रूप से विचार करके श्री तारा सिंह की चरित्र पंजिका में एक कठोर भर्त्सना प्रविष्टि अंकित करके उनके विरुद्ध प्रारम्भ की गयी विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गयी ।

तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई को जांच रिपोर्ट के आधार पर निलम्बित न करने का कारण

90–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि मण्डलीय उप कृषि निदेशक, लखनऊ के कृषि निदेशालय को प्रेषित पत्रांक 108 दिनांक 9-4-86 में तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध जो जांच रिपोर्ट भेजी गयी थी, के आधार पर सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी को अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मण्डलीय उप कृषि निदेशक, लखनऊ के पत्रांक गबन-108 दिनांक 9-4-86 में तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध कोई जांच रिपोर्ट नहीं भेजी गयी थी अपितु उनके द्वारा उक्त पत्र से विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के आठवें गुरुवार के लिए पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–61 का उत्तर भेजा गया था ।

तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई श्री तारा सिंह को शासनादेश संख्या-672/12-1-86-290/85, दिनांक 26-3-87 से निलम्बित किया गया था तथा अनुशासनिक कार्यवाही के उपरान्त शासनादेश संख्या–6174/12-1-87-290/85 दिनांक 26-2-88 से बहाल करते हुए चरित्र पंजिका में कठोर भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गई है।

महाविद्यालय शिव नारायण मेमोरियल रा0 एलोपैथिक अस्पताल रायपुर जमालापुर, जौनपुर की इमारत के निर्माण का प्रस्ताव

91–श्री राम सजीवन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराजा शिवनारायण मेमोरियल रा0 एलोपैथिक अस्पताल, रायपुर जमालापुर, जौनपुर की इमारत कब बनेगी ? क्या इस सम्बन्ध में भू0पू0 सभापति लोक लेखा समिति मा0 उदल ने ता0 20-4-87 को मा0 स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और कार्य कब से शुरू किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ था । भवन निर्माण का प्रस्ताव निदेशालय से अभी शासन को प्राप्त होना है।

आलू बोने हेतु कृषकों को सरकारी अनुदान

92–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष आलू बोने हेतु कृषकों को किस प्रकार का सरकारी अनुदान दिया गया है? क्या मंत्री जी जनपद बाराबंकी में अनुदान दिये जाने वाले कृषकों की सूची जिसमें धन की मात्रा भी हो, सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विगत वर्ष 10 अक्टूबर, 1987 तक आलू की अगेती बुवाई कर लेने वाले कृषकों को रु0 400 प्रति है0 के उर्वरक तथा रु0 200 प्रति है0 की पौध रक्षा रसायन कुल अधिकतम प्रति कृषक रु0 600 का सरकारी अनुदान एक है0 क्षेत्रफल की सीमा तक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर जनपदों के लिए निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक दिया गया ।

जनपद बाराबंकी में 798 कृषकों को रु0 3,01,328.31 की राज्य सहायता दी गयी है, जिसकी सूची संलग्न† है।

†छापी नहीं गयी ।

एलोपैथिक डिसपेन्सरी विधान भवन के डाक्टरों के स्थानान्तरण का निरस्तीकरण

93–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

विधान सभा के तृतीय सत्र 87 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 149 के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत डाक्टर के स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो निरस्त किए जाने के क्या कारण है तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

लखनऊ नगर महापालिका में चेक द्वारा भुगतान में हुई गड़बड़ी की जांच

94–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मनेजर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा चेक नं0 196766 दिनांक 21-8-1987 रु0 3471/- किस संस्था को तथा किस मद के लिए भुगतान किया गया ? उक्त भुगतान किस अधिकारी द्वारा किसके आदेश से किया गया ? क्या मंत्री जी उक्त भुगतान के सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी पाये गये संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

चेक संख्या–196766 दिनांक 21-8-1987 धनांक रुपया 3471 डिप्टी रेजीडेन्ट इंजीनियर, लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग, लखनऊ के नाम, चोपड़ अस्पताल बंगला नं0–2, जिसमें लेखा अधिकारी निवास करते हैं, में विद्युत संयोजन कराये जाने के निमित्त बनाई गई थी, परन्तु उसका भुगतान नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त चेक को निरस्त कर दिया गया । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जनपदों में बीज एवं प्रक्षेत्र का चार्ज हेतु बीज अधिनियम में शैक्षिक योग्यता का निर्धारण

95–श्री मनोहर लाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बीज एवं प्रक्षेत्र का चार्ज हेतु कृषि स्नातक की योग्यता का निर्धारण बीज अधिनियम में किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शैक्षिक योग्यता को बदलने हेतु शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री महाराणा प्रताप सिंह, यांत्रिक सहायक (वर्ग-2), जनपद देवरिया द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच

96–श्री रणजीत–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महाराणा प्रताप सिंह, यांत्रिक सहायक (वर्ग-2), जनपद देवरिया के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-2-1987 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । वह पत्र जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया था ।

प्रदेश के डाकग्रस्त क्षेत्रों में भूमि सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा आवंटित धन

97–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने जनपद हैं जो डाकू ग्रस्त घोषित हैं ? क्या इन डाकू ग्रस्त आगरा-मैनपुरी, इटावा-कानपुर (देहात) जालौन-फर्रुखाबाद आदि जनपदों में भूमि विकास कार्यक्रम, बीहड़ सुधार, भूमि समतलीकरण-ऊसर बंजर भूमि सुधार आदि कार्यों के लिए वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में धन आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो केन्द्रीय सहायता का कितना अंश था और प्रदेश का कितना अंश था ? क्या यह पूरी सहायता खर्च हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रदेश में झांसी, इटावा, हमीरपुर, जालौन, बांदा, कानपुर (देहात), मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आगरा, एटा, बदायूं एवं ललितपुर जनपदों को दस्यु प्रभावित क्षेत्र फर्रुखाबाद, आगरा, एटा, बदायूं एवं ललितपुर जनपदों को दस्यु प्रभावित जनपद घोषित किया गया है।

जी हां ।

निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रदेश में भूमि संरक्षण कार्यों हेतु केन्द्र/राज्य अंश स्वीकृत हुआ है:–

(लाख रुपये में)

योजना	85–86	86–87	87–88
1– दस्यु प्रभावित बीहड़ सुधार	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र
	4–00	–	167-875
	राज्य	राज्य	राज्य
	–	–	–
2– ऊसर सुधार (केन्द्र पोषित)	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र
	–	144-45	117–95
	राज्य	राज्य	राज्य
	–	200-00	185–40

3– ई0 ई0 सी0 की	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र
बीहड़ सुधार	–	–	679–54
	राज्य	राज्य	राज्य
	–	–	52–14
4– नेशनल वाटरशेड	केन्द्र	केन्द्र	केन्द्र
	–	–	110–20
	राज्य	राज्य	राज्य
	–	–	110–20

वर्ष 85-86 तथा वर्ष 86-87 में आवंटित धनराशि खर्च की जा चुकी है । 1987-88 में कार्य प्रगति पर है ।

भदनवारा, मांट, जनपद मथुरा में निर्माणाधीन गोदाम में विलम्ब तथा दीवार गिरने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

98–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने उन्हें दि0 29-6-87 को एक प्रार्थना-पत्र भदनवारा, त0 मांट, जनपद मथुरा में विश्व बैंक द्वारा निर्मित किये जा रहे सहकारी गोदाम को दो वर्ष से ज्यादा समय में भी पूरा न कराने के बारे में दिया था ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब शुरू किया गया और कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त गोदाम की दीवारें आंधी से गिर गई थी ? यदि हां, तो क्या ऐसी कमजोर इमारत बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

गोदाम का निर्माण जनवरी, 1985 में प्रारम्भ हुआ था परन्तु भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो जाने से कार्य में अवरोध उत्पन्न हो गया था । विवाद का निस्तारण होने पर गोदाम का निर्माण पूरा कराने में तीन माह का समय लगेगा ।

जी हां गोदाम की एक दीवार आंशिक रूप से गिर गई थी।

जी हां ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दायित्व निर्धारित कर समुचित कार्यवाही की जा रही है।

मण्डी परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

99–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें तीन वर्ष से ज्यादा कार्य करते हुए हो गए हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है ? उन्हें कब तक स्थायी किया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद वाराणसी में विकास खण्डवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षकाओं का स्थायीकरण

100–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में विकास खंडवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्तमान समय में कितनी स्वास्थ्य निरीक्षकायें कार्यरत हैं और उनमें से किन-किन की सेवायें स्थायी कर दी गयी हैं और अभी किन-किन का स्थायीकरण होना शेष रह गया है ? क्या वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग में ऐसी भी स्वास्थ्य निरीक्षिकायें हैं जिनका सेवाकाल लगभग बीस वर्ष हो चुका है किन्तु वे अभी तक स्थायी नहीं की गयी हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना वृहद है जो एकत्र की जा रही है।

हरदोई में जलकर की चोरी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

101–श्री विष्णु देव–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 29-5-74 को पानी मीटर हटाकर पानी की चोरी करते समय जलकल अभियन्ता, हरदोई ने तत्कालीन जिला कृ0 अ0 हरदोई (श्री आत्माराम) को पकड़ा था, जिस पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, हरदोई ने दिनांक 13-6-74 को मु0 480/की नोटिस कथित अधिकारी को दिया था, जिस पर 5 रुपया जुर्माना ही वसूल किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

कार्यालय नगर पालिका हरदोई की आख्या दिनांक 8-3-88 के अनुसार इस मामले से संबंधित पत्रावली नष्ट की जा चुकी है । अतः इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता।

सलोन विकास खण्ड, जिला रायबरेली में हुए जिंसम घोटाले की जांच

102–श्री विष्णु देव–

विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 14-2-83 के अता0 प्रश्न सं0 37 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब प्राप्त आख्याओं में विशेष गम्भीर शिकायतें सत्यापित हैं, तो कथित अधिकारी को प्रोन्नत किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट को प्रभावी ढंग से रोकना

103–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट को प्रभावी ढंग से रोकने की कोई नीति शासन के पास है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताना चाहेगी कि वित्तीय वर्ष 1986-87, 1987-88 में अब तक कितनी मिलावट की घटनायें पकड़ी गयी और कितनों को सजा दी गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, जीवन रक्षक दवाओं में मिलावट पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु प्रदेश स्तर पर औषधि नियंत्रण संगठन कार्यरत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रदेश में स्थित विभिन्न निर्माण इकाइयों द्वारा औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनी नियमावली में निर्धारित मानकों के अनुरूप ही औषधियों का निर्माण किया जाय ।

अभी तक केवल 33 जनपदों से ही सूचना प्राप्त हो सकी है, जो निम्नवत है :—

वित्तीय वर्ष	पकड़ी गयी मिलावट की घटनाओं की संख्या
1986-87	15
1987-88	1

वर्ष 1986-87 के उक्त सभी 15 मामलों में मुकदमें चलाये जाने के आदेश जारी कर दिए गये हैं। वर्ष 1987-88 की घटना विवेचनाधीन है।

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के आशुलिपिक की पदोन्नति एवं उच्च वेतनमान का लाभ

104–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के आशुलिपिक जिनकी पदोन्नति वेतनमान 515–860 में की गयी थी, की शर्तों को पूरा न करते हुए भी उच्च वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस आधार पर तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के प्रति शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर मण्डल के संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) (श्री रघुराज सिंह) के पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

105–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (श्री रघुराज सिंह) आशुलिपिक, कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा कोई आवेदन पत्र दिनांक 3-9-87 को कृषि निदेशक, (मुख्य प्रशासन अनु0) लखनऊ को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री शोभा चन्द्र प्रा0 स्वा0 कार्यकर्ता गढ़वाल के स्थानान्तरण की मांग

106–श्री राम शरण दास–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री शोभा चन्द्र प्रा0 स्वा0 कार्यकर्ता, मलेरिया पिछले 14 वर्षों से भी अधिक पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा इस समय जनपद टेहरी गढ़वाल के केन्द्र जखोली के उप केन्द्र सुभाड़ी पर प्रा0 स्वा0 कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है ? क्या मंत्री जी उक्त गरीब वेतन भोगी कर्मचारी पर दया कर उसे मैदानी क्षेत्र के जनपद सहारनपुर में स्थानान्तरित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्रश्नगत कर्मचारी का स्थानान्तरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद फैजाबाद टाउन एरिया गोसाईगंज में जनता पार्टी द्वारा मांगों का ज्ञापन

107–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद टाउन एरिया गोसाईगंज में दिनांक 12 सितम्बर, 87 को जनता पार्टी द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर एक शान्तिपूर्ण धरने का आयोजन किया गया था जो परगनाधिकारी सदर के आश्वासन पर उन्हें एक ज्ञापन देने के बाद समाप्त किया गया था ? यदि हां, तो परगनाधिकारी को दिए गए ज्ञापन और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

सन्दर्भित ज्ञापन में उल्लिखित मांगों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 72-73 पर)

सामान्य प्रशासन के बजट को बिना चर्चा कराये पारित किये जाने के संबंध में आपत्ति तथा नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, नियमों के निलंबन के संबंध में माननीय शतरुद्र प्रकाश, मैंने तथा विरोध पक्ष के नेताओं ने एक प्रस्ताव दिया था जिस पर आपने कहा था कि वह मैं शून्य प्रहर में सुनूंगा । अब शून्य प्रहर का समय है । मैं कहना चाहता हूं कल विधान सभा में सामान्य प्रशासन का बजट रखा जाना था । उस बजट के पहले जो सदन की स्थिति थी उससे आप भी अवगत हैं । माननीय मुलायम सिंह जी किसी विषय को लेकर धरना दे रहे थे । उस समय पर सारे विपक्ष के लोग अपनी-अपनी जगह पर, चेयर पर बैठे थे । अगर आप उसे अव्यवस्थित मानते हैं तो मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समझता हूं कि उनके भाषण के बाद कोई भी कार्यवाही जो भी कल सदन में हुयी है वह कार्यवाही जायज नहीं है, विधान संगत नहीं है, कानून के विरुद्ध है । लेकिन आपकी तरफ से कोई कदम इस किस्म का, जो हमारी नियमावली में आपको अधिकार दिये गये हैं उनके तहत, अव्यवस्थित सदन को व्यवस्थित करने के लिए कोई प्रयास चेयर से नहीं किया गया है । सिर्फ एक मांग की गयी थी, मात्र एक दरोगा जिसको लेकर सारे सदन का कार्य दिन भर बंद रहा । एक दरोगा के निलम्बन की बात थी जिसके ऊपर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की प्राइमाफेसाई रिपोर्ट थी लेकिन सरकार की हठवादिता थी, सरकार ने यह बर्दास्त कर लिया कि सदन की कार्यवाही न चले लेकिन अपने लाडले दरोगा को निलंबित करना स्वीकार नहीं किया । उसके बाद उपाध्यक्ष जी आये और उन्होंने आते ही, सदन में कोई शोर नहीं था, उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए कह दिया और सामान्य प्रशासन का बजट उन्होंने पेश किया जबकि यह बजट माननीय मुख्य मंत्री जी को पेश करना चाहिए था । उनका विभाग था उनके विभाग का बजट होने के बावजूद भी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस बजट को पेश किया । मैं सदन में मौजूद था, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरा क्या कसूर था ? मैं कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए तैयार था लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया और कटौती का प्रस्ताव रखने का मौका नहीं दिया गया कि मैं सदन में कटौती का प्रस्ताव रखता । ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है । सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बजट पर आजादी के 40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सामान्य प्रशासन के बजट पर चर्चा न हुई हो । सरकार तो हर समय बहाना चाहती है । पिछले वर्ष देख लें, इस वर्ष भी अभी सहकारिता विभाग का बजट था सरकार ने यही रवैय्या अख्तियार किया । सरकार कोई न कोई रास्ता निकालना चाहती है, कोई न कोई बहाना ढूढ़ती है कि सदन की कार्यवाही न चलायें । हमारी जायज जो बातें होती हैं और जिनके संबंध में सरकार आश्वासन देती है असेंबली में, लेकिन उन पर बाद में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । अभी हमारे इसी सदन में जिस समय मिर्जापुर में खेडारी गांव का जो वाकया हुआ था उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि एफ0 आई0 आर0 लिखी जायगी लेकिन उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया । बुनकरों को आश्वासन दिया गया, लेकिन पूरा नहीं किया गया । बुनकरों की जो समस्या थी, उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम सभी माननीय सदस्यों से बात करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज तक माननीय सदस्यों से बात नहीं की गयी और समस्या का समाधान नहीं किया गया । इसके अलावा जब मैंने मुरादाबाद के रजबपुर के वाकया को उठाया, उसमें जबकि सरकार की तरफ से दो व्यक्ति मारे गये थे, पांच लोगों का हमने लिखित रूप में नाम दिया था और इसी सदन में मैंने कहा था कि कम से कम 40 लोग मारे गये हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे, आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया गया ।

रायल होटल की घटना के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हमने गृह मंत्री को आदेश दे दिया है, वह जांच करेंगे, लेकिन आज तक गृह मंत्री देखने भी नहीं गये । इस वाक्या को 4 महीने हो गये हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं

की गयी । जो भी आश्वासन आप देते हैं, कोई भी पूरा नहीं करते हैं । आप इस कुर्सी पर बिराजमान हैं, इसलिए बिराजमान हैं कि आप न्याय करेंगे । आपसे हम नियमों के अंतर्गत संरक्षण चाहते हैं । हम जानते हैं इस बात को कि आप इनको बाध्य नहीं कर सकते हैं । हम यह भी जानते हैं कि अगर हम किसी के निलंबन की बात करें, किसी के ट्रांसफर की बात करें या बरखास्तगी की बात करें, तो यह सरकार के विवेक की बात है कि वह माने या न माने । लेकिन इस सदन के अन्दर यदि कोई आश्वासन दिया जाता है, तो उस आश्वासन को पूरी तरह से पालन होना चाहिए, तभी सदन की गरिमा रहेगी और तभी उत्तर प्रदेश की जनता यह समझेगी कि सदन कुछ करने में सक्षम है । मान्यवर, जानबूझ करके आपकी पीठ से इस सामान्य प्रशासन के बजट पर मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया । उसमें हम यह साबित कर देते कि वर्तमान मुख्य मंत्री जी सामान्य प्रशासन की बात करते हैं, इनके जमाने में प्रशासन नाम की कोई चीज रह नहीं गयी है । कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि हम तो सबके साथ समान वर्ताव रखते हैं । इसी 2 मार्च को विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इन्हीं की नौकरशाही के द्वारा, जिन्हें ये सिर पर बैठाये हुए हैं । माननीय मुख्य मंत्री के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है । माननीय मुख्य मंत्री के आदेशों को नहीं सुना गया, कर्मचारियों के द्वारा और गुण्डों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया । एक तरफ आई0 ए0 एस0 और दूसरी तरफ हमारे विधायकों को आपने बिल्कुल कमजोर समझ लिया और उन्हें आपने जेल के सिकंजों में बान्द कर दिया। आप जो कानून की दुहाई देते हैं, जिनके खिलाफ हमारे विधायक भोपाल सिंह ने एफ0 आई0 आर0 लिखाई, कोई कार्यवाही नहीं की गयी । माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिलाया कि कार्यवाही की जायगी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । हम बार-बार अनुरोध करते हैं कि एक वाकया नहीं अनेकों वाकये हैं, जिन आश्वासनों को सरकार ने दिया, उन आश्वासनों पर सरकार ने विचार नहीं किया । अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो हम किसके पास समस्या को लेकर जायेंगे । कल माननीय उपाध्यक्ष आपकी पीठ पर बैठे हुए थे, मैं सदन में मौजूद था, माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन का बजट पेश किया और उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ, मेरा अधिकार था, यह नियमावली के तहत है, नियमावली के नियम 189 में दिया गया है कि कटौती का प्रस्ताव सदस्य पेश कर सकेंगे। मान्यवर, उस समय कोई अव्यवस्था नहीं थी। उस समय पर केवल एक सदस्य आपकी विधान सभा के वेल में बैठे हुए थे। इसमें कोई चक्कर नहीं था इसके अलावा कोई व्यवधान नहीं था । माननीय उपाध्यक्ष जी मुझे उस समय पर अनुमति दे देते और अगर विरोध पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग हमें नहीं बोलने देते तो हमें आपसे कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत करने की गुंजाइश नही थी । मान्यवर, हमारी शिकायत इसलिए है कि जब सारी कार्यवाही चलती रही, बजट पेश होता रहा और जब हमें प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से उस पर कटौती का प्रस्ताव लाना था तो वहां पर मान्यवर, हमें पुकारा नहीं । यह हमारे अधिकारों का हनन है, तो मैं खासकर कहना चाहता हूं कि जो आज हमने दुखी होकर अपने राजनीतिक जीवन के, संसदीय जीवन के 16 वर्ष के अंदर पहली बार अनुरोध किया कि 311 के अंदर नियमों का निलम्बन करिये । यह मैं

इसलिए कह रहा हूं कि इस विधान सभा के अन्दर हमारी परम्पराओं को ताक पर रखा गया । नियमावली पर विचार नहीं किया गया । संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया । तो मान्यवर, कोई आवश्यकता नहीं कि हम इस सदन के अंदर बैठें और इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें । यह तो चौपाल की कार्यवाही के बराबर हो जायेगा । मान्यवर, सदन में जब सरकार की तरफ से सत्तापक्ष की तरफ से कोई बात कही जाती है तो उसका अनुपालन कराया जाय । अनुपालन करने के लिए हम विरोध पक्ष के लोग सरकार पर भी दबाव डाल सकते हैं । आपके माध्यम से और वह न्याय की बात भी है । मान्यवर, यह आपके हाथ में है कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप हमें रोकें और अगर सत्तापक्ष के लोग कहीं गलती कर रहे हैं तो उनको ताड़ना दें । हमारा कल कोई कसूर नहीं था, हम सदन के अन्दर मौजूद थे । संसदीय कार्यमंत्री ने नियमों के विरुद्ध सामान्य प्रशासन का बजट पेश किया और मैं जब खड़ा हुआ तो मुझे इजाजत दे देनी चाहिए थी और जब इजाजत नहीं दी तो मेरी मांग है कि सामान्य प्रशासन का बजट तथा कल की कार्यवाही जो भी सदन में हुई है, इसे निरस्त किया जाय, इसे अवैधानिक करार करने का कष्ट करें । एक ऐतिहासिक फैसला लेने का कष्ट करें और जो असंवैधानिक कार्यवाही हुई है इसे निरस्त करें । आप सामान्य प्रशासन के बजट को पुनः प्रारम्भ करायें और माननीय मुख्य मंत्री से कहें, क्योंकि विभाग उनका है, वे हमारे सदन में आकर अपने बजट को रखें और मुझे मौका दें कि हम कटौती का प्रस्ताव रखें और कटौती का प्रस्ताव रखने के बाद यह संख्या के आधार पर बजट पास करा सकते हैं । मान्यवर, लेकिन हमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, सरकार के काले कारनामों को उजागर करने का अधिकार है । हम विरोध पक्ष के लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहते हैं । मान्यवर, कल की कार्यवाही को आप निरस्त करिये इसके साथ ही सामान्य प्रशासन के लिए दिन तय करिये और मुख्यमंत्री को बाध्य करिये कि बजट रखें ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, एक निवेदन आपसे करूंगा, मेरा निवेदन यह है कि यह अखबारों में है..

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मुझे अवसर दें चाहे इसके बाद या उसके बाद ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने रेवती रमण सिंह जी का नाम पुकारा है ।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने कोई निधन की सूचना दी है कि एक-एक करके खड़े हो जायेंगे और कहेंगे कि मैं अपने को इनकी भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं ?

(व्यवधान)

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह देवेन्द्र पाण्डेय जी विधान सभा में चुनकर आए हैं, यह हवाई जहाज हाईजेक कर सकते हैं लेकिन यहां की नियमावली के बारे में नहीं जान सकते ।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

हवाई जहाज को नपुंसक लोग हाईजेक नहीं कर सकते ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कल जो इस सदन में हुआ, वह संसदीय इतिहास और इस सदन के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जायगा । मान्यवर, कल की कार्यवाही जिस ढंग से सत्ता पक्ष के लोगों ने चलाई, वह अपने में एक इतिहास है । मान्यवर, कल कहीं शोर शराबा नहीं था । कहीं भी विपक्ष के लोग उत्तेजित नहीं थे । कहीं भी इस तरह का वातावरण नहीं था कि जिसमें उस पर चर्चा न होती । लेकिन मान्यवर, यह अम्मार रिजवी साहब ने, इन्होंने कल एक ऐसा काम किया, जिसकी इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है । यह संसदीय कार्य मंत्री हैं । केवल एक दरोगा की बेचारे निलम्बित नहीं कर सके और पूरे सदन का शर्म से इन्होंने सर नीचा कर दिया, लेकिन दरोगा को हटा नहीं पाए । इसी के साथ-साथ कल जितने नियम कानून थे, इन्होंने सब ताक पर रख दिए । कल मान्यवर, उस पर चर्चा हो जाती तो आपको डर था कि सभी विपक्ष के सदस्य सरकार की बधिया उखाड़ देते । कल मुख्य मंत्री जी भी बजट पेश करने नहीं आए । कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी से हो सकता है लेकिन सामान्यतया यह होता है कि सामान्य प्रशासन का बजट मुख्य मंत्री रखते हैं। लेकिन वह कल नहीं आए । इन्होंने एक लाइन पढ़कर 'हां' और 'ना' करके बजट पास करवा लिया और मान्यवर, पीठ से यह उम्मीद थी कि इस पर आप निर्णय देंगे, लेकिन कल मान्यवर, इस पर निर्णय नहीं लिया गया और सदन निलम्बित कर दिया गया, दूसरे दिन के लिए । मान्यवर, यह अफसोसजनक बात है कि रोज इस सदन में इस तरह का काम यह लोग करते हैं और बार-बार कहते हैं कि विपक्ष के लोग सदन नहीं चलाने देते हैं । सहकारिता का बजट भी इसी तरह से पास करवा लिया और आज भी इस तैयारी में लगे हुए हैं कि आज का भी बजट किसी तरह से पास करवा कर फुरसत हो जाय । मान्यवर, आप देखें कि इस बार इस सदन में कितने बजट पर चर्चा हुई और कितनी देर हुई । इससे सरकार की मंशा साफ हो जायगी । यह सरकार चाहती है कि आज जो प्रदेश की जन-समस्याएं हैं, जिनको सुलझाने में सरकार पूर्णतया विफल रही है, उनकी चर्चा यहां पर न हो । उनका छिद्रान्वेषण न हो । इनकी विफलता के बारे में प्रदेश की जनता को पता न चले । लेकिन मान्यवर, इस तरह का रवैया जो अख्तियार किया है वह रवैया सरकार को बचाने वाला नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कल की कार्यवाही को पूर्णतया निरस्त कर दें और फिर उस पर चर्चा करावें । अगले साल पता नहीं आप रहेंगे या नहीं, इस साल फायदा उठा लीजिए । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस तरह के मामले में सरकार को निर्देश दें कि इस तरह की कार्यवाही दोबारा न हो । इससे सदन की गरिमा घटती है, बढ़ती नहीं है ।

(शोर होने पर)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, पहले जरा सदन व्यवस्थित कर दीजिए । मान्यवर...

श्री शारदा नन्द अंचल–

सदन में कुछ और बाहर कुछ और, इनकी यह दोगली नीति रही है । इस विषय में हमें कुछ न कुछ कहने देना चाहिए ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सामान्य प्रशासन पर चर्चा जो कार्यमंत्रणा समिति में तय की गयी थी, यह 22 तारीख के लिए तय थी, सबको पता है। मान्यवर, 22 तारीख को उस पर तारीख निकल आयी एजेन्डे में, हम लोगों को, हमारे दल के अक्षयवर मल्ल जी की हत्या के सम्बन्ध में, 22 तारीख को धरना था, पूरे प्रदेश में। चूंकि एजेन्डे पर 22 तारीख लग गयी इसके लिये, हम लोगों ने यह तय किया कि हमारे ऊपर यह इल्जाम आवेगा कि यहां बोलने नहीं देना चाहते हैं, नेताओं को । इसलिये 22 तारीख के धरने का कार्यक्रम बदलकर हमने 23 तारीख कर दिया । 16 तारीख को माननीय मुलायम सिंह जी की तरफ से एक चिट्ठी इस संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री को गयी, आपको भी गयी । उसमें धरने की तारीख 23 का उल्लेख था । आपके पास भी वह चिट्ठी गयी है, आप देख लीजिये । हमने खुद देखा कि 22 पर सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा है तो इसलिए यह 23 तारीख रखी । लोकल और इस सदन में धरने की तारीख 23 रख दी और इस दिन शहीद भगत सिंह की शहादत का दिन था, राम मनोहर लोहिया जी का जन्म दिवस भी था । मान्यवर, उसके बाद क्या होता है ? कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है। मैं वहां नहीं गया था, उस बैठक में नहीं गया था। उसमें दूसरे दलों के लोग गये थे, वहां इस बजट की तारीख 22 को बदलकर 23 कर दी गयी, अब उसमें हमारा क्या दोष है ? पहले 22 तारीख को बजट था, तो उसमें उसे देखकर अपनी धरना 23 को कर दी । फिर इन्होंने 23 तारीख को इस बजट को क्यों किया ?

(व्यवधान)

आप लोग सुनिये, बीच में टोकाटोकी न करें । हम लोगों का 23 तारीख के धरने के लिए नोटिस तो पहले ही चला गया था, फिर इसे क्यों किया गया? बजट की तारीख क्यों बदली गयी ?कल हमारे नेताओं की बैठक हुई, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कहा, क्वेश्चन आवर के बजाय बाद में बैठें, क्वेश्चन आवर में न बैठें । उन्होंने बात मानी और जीरो आवर में बैठे । जब आपका हाउस एडर्जन था, माननीय सत्यपाल सिंह यादव जी, माननीय रेवती रमण सिंह जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और माननीय राजेन्द्र गुप्त जी वहां थे, उसमें यह बात कही गयी थी कि अगर मांगें नहीं मानी गयीं, बात नहीं मानी गयी तो धरना जारी रहेगा । आपस में यह तय हो चुका था कि केवल माननीय मुलायम सिंह जी धरने पर रहेंगे, कोई व्यक्ति अन्दर नहीं जायेगा । माननीय नेता विरोधी दल को भी इस बात का पता था । उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि हम क्या करें ? मान्यवर, यह भी बात थी कि अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी को इंगित करेंगे और जब मार्शल आयेगा, तब वह चले जायेंगे । हमारा दल पूरा बहिष्कार करेगा । माननीय सत्यपाल जी ने कहा कि हम क्या करें ? हमने कहा कि आप जो चाहे करें उन्होंने कहा कि मैं बैठूंगा यहां यह उचित नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वाक-आउट करेंगे, थोड़ी देर बाद वापस हाउस में चले जायेंगे । सभी दलों ने यह तय किया था । इसके बाद हमारा क्या दोष है ? इसमें सरकार का दोष हो सकता है और किसी का दोष हो सकता है, हमारा कोई दोष नहीं है । कल आप माननीय मुलायम सिंह जी को इंगित करते, वह सदन छोड़ देते । आपने इंगित क्यों नहीं किया ? इसमें हमारा दोष क्या है ? हम लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी से यह भी कहा कि यहां राजनारायण जी को बीसों बार, टांगें उठाकर, सदन से बाहर ले जाया गया, आपको भी उस तरह से उठाकर बाहर ले जाया जा सकता है। हमारा एक आदमी उसमें साथ नहीं देगा । उन्होंने कहा कि वे गांधी जी के पदचिह्नों पर चलेंगे । मान्यवर, एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि यहां किसी माननीय नेता को सदस्य नहीं कहा जा सकता । माननीय मुलायम सिंह जी की एक हैसियत है, उसको गिराया नहीं जा सकता । आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुलायम सिंह जी को यदि सदस्य कहा जायेगा, तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा ।

(शोर होने पर)

आप लोग सुनिये । मैं कहना चाहता हूं कि दोहरी नीति करने वाले आप लोग हैं, आप हैं, आप लोग हैं। हम लोगों का दिल साफ है, हमारे सब पर्चे साफ-साफ हैं। दोहरी नीति आप करते हैं, आप करते हैं। यहां कोई बात करते हैं, बाहर कोई बात करते हैं, चेम्बर में कोई बात करते हैं । नूरी कुश्ती आप करते हैं । अखबारों के जरिये बदनाम करने की कोशिश करते हैं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मुझको सुन लीजिये ! एक नेता द्वारा दोगली नीति का परिपालन किया गया है । मुझे मौका दें ।

(श्री पारसनाथ यादव, श्री बाबू राम यादव, श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री अचल सिंह आदि कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट के लिये मेरी बात सुन लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमको भी सुन लीजिये, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

(पुनः शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे, तथा शोर करने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

श्री शतरुद्र जी, आप बात शुरू कीजिये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा । आप कल की कार्यवाही देखिये और कल की कार्यवाही में साफ लिखा हुआ है, पेज नं0 65 पर माननीय अम्मार रिजवी साहब ने कहा कि आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की आज दिनांक 23 मार्च, 1988 की कार्यसूची की मद संख्या-10 में उपमदों 1 से 29 में उल्लिखित अनुदानों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गयी हैं, उनमें क्रमशः अंकित धनराशियों, जिनका कुल योग 7 अरब, 16 करोड़, 92 लाख, 99 हजार रुपये हैं, से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये । मेरा निवेदन यह है कि .....

(श्री पारस नाथ यादव, श्री अचल सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री बाबूराम यादव सहित कई अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए तथा नारे लगाते हुए अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही आधा घन्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 1 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी गयी । 1 बजकर 42 मिनट श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने से उत्पन्न घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायं ।

यह मामला नियम-311 व 300 में उठाया गया है । जिन परिस्थितियों में कल बजट पारित किया गया, उसमें कोई अनियमितता नहीं हुई । क्योंकि सदन अपनी प्रक्रिया का मास्टर होता है । सदन ने जब कोई निश्चय कर लिया, तो फिर उसके फैसले को गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता है । लिहाजा मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान उत्पन्न होने पर)

मैं सदन को ढाई बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 44 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गयी । 2 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

हाउस शुरू हुआ नहीं कि व्यवस्था शुरू हो गयी । मैं एक-दो मद पढ़ दूं उसके बाद आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जो अध्यक्ष जी ने फैसला दिया है, उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब सदन चला ही नहीं तो व्यवस्था किस प्रकार हो गयी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं जानना चाहता हूं कि जिस दिन कोई अनुदान आयेगा तो क्या बिना कटौती के पास हो जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

(श्री गोपाल दास यादव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शारदानन्द अंचल, श्री भोपाल सिंह, श्री शफीकुर्रहमान बर्क आदि विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने के कारण उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या-3, सचिव, विधान सभा ।

(सचिव, विधान सभा द्वारा खड़े होकर मद संख्या-3 पढ़ना प्रारम्भ करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या-3 पढ़ी हुई मानी जाय ।

(मद संख्या-3 पढ़ी हुई मानी गयी)

सचिव, विधान सभा–

[माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 15 मार्च, 1988 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 मार्च, 1988 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 मार्च, 1988 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया]।

(कई सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ते रहने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :–यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मद संख्या-5 की याचिकाओं का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या-5 को स्थगित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

मद संख्या-7 के अंतर्गत कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना सदन को देनी है ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जो आज के एजेण्डा में छपी है, उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(प्रस्ताव पढ़ा हुआ माना गया ।)

[विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 22 मार्च, 1988 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 30 मार्च से 12 अप्रैल, 1988 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है:–

मार्च, 1988	
30 बुधवार	निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण–
	1–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988-आधा घंटा।
	2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विधेयक, 1988 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)-आधा घंटा।
	3–उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1988-आधा घंटा।
	4–उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988- आधा घंटा।
	5–उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1988 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)- एक घंटा।
31 गुरुवार	(महावीर जयन्ती का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
अप्रैल, 1988	
1 शुक्रवार	(गुड फ्राइडे का अवकाश) बैठक नहीं होयी।
2 शनिवार 3 रविवार	बैठक नहीं होगी।
4 सोमवार	1–सूत के मूल्यों में वृद्धि तथा हथकरघा निगम द्वारा कपड़ों के मूल्य में वृद्धि न किए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक घंटे की चर्चा। 2–लम्बित असरकारी संकल्प।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5 मंगलवार	1–लम्बित असरकारी विधेयक। 2–प्रदेश में चीनी मिलों में प्रति क्विंटल चीनी के उत्पादन लागत एवं गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य में विसंगति के सम्बन्ध में चर्चा- एक घंटा।
6 बुधवार	1–असरकारी संकल्प। 2–जिला आगरा की फिरोजाबाद तहसील को जिला घोषित किये जाने के संबंध में एक घंटे की चर्चा।
7 गुरुवार	1–असरकारी विधेयक। 2–विधायी कार्य।
8 शुक्रवार 9 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।
11 सोमवार	1–असरकारी संकल्प। 2–अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन पर विचार- आधा घंटा।
12 मंगलवार	1–असरकारी विधेयक। 2–अवध विश्वविद्यालय जांच आयोग का प्रतिवेदन, 1979 पर एक घंटे की चर्चा।]

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना अभी माननीय उपाध्यक्ष द्वारा इस सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से, जिसे उन्होंने अभी सदन के समक्ष रखा है, सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988†

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

† दिनांक 29-3-1988 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 को पुर:स्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य स्थगन के प्रस्ताव, नियम 56 के अंतर्गत 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनको मैं अस्वीकार करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) तथा अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि–"विधान सभा की आज दिनांक 24 मार्च, 1988 की कार्यसूची की मद संख्या 12 की उप मदों (1) और (2) में उल्लिखित अनुदानों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशियों की पूर्ति हेतु, जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गई हैं, उनमें क्रमश: अंकित धनराशियों, जिनका कुल योग 2 अरब 99 करोड़ 90 लाख 72 हजार रुपये है, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायं।"

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी, कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसा लगता है कि आपको कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने में कोई रुचि नहीं है। अत: मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि विधान सभा की आज दिनांक 24 मार्च, 1988 की कार्य-सूची की मद संख्या 12 की उप मदों (1) और (2) में उल्लिखित अनुदानों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशियों की पूर्ति हेतु, जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गई हैं, उनमें क्रमश: अंकित धनराशियों, जिनका कुल योग 2 अरब 99 करोड़ 90 लाख 72 हजार रुपये है, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम 3.30 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करते हैं।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी। 3 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विपक्ष द्वारा सदन में बारबार व्यवधान उत्पन्न करने तथा सदन का समय नष्ट करने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का सुझाव

(श्री मुहम्मद आजम खां, श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री बाबूराम यादव आदि अन्य सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने व शोर करने पर)

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का साढ़े चार हजार रुपया प्रति मिनट इस सदन की कार्यवाही पर खर्च हो रहा है। जिन चीजों के लिये सम्मानित सदस्य कार्यवाही में भाग लेने के लिये आते हैं, यह उनके सोचने की बात है कि सदस्य गण क्या अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं? आज सारी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने यह बात साफ हो गई है कि कौन लोग सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं। जो विरोध पक्ष के आन्तरिक झगड़े हैं उनको आपस में न सुलझा कर इस तरीके से सदन की कार्यवाही में बाधा डाल कर, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।

मान्यवर, इस संबंध में आपको फैसला करना पड़ेगा, यह मेरा सुझाव है कि इस पर आप अवश्य सोचें कि इस संबंध में एक कमेटी गठित की जाय कि जो लोग आपके डायस पर आ कर इस तरह से कार्यवाही के चलने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जो सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलने नहीं देना चाहते हैं, सदन इस पर सोचे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बरदाश्त नहीं करेगी। इस तरह से बैठकों में भाग लेने के लिये क्या यह लोग यहां आए हैं? क्या सदस्यगण इसलिए यहां आये हैं कि इसी प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें? विरोध पक्ष अपनी बात से स्वयं ही स्पष्ट है वह गम्भीर समस्याओं पर विचार नहीं करना चाहता है। चिन्ता की बात है कि सारी कार्यवाही में बाधा डाल कर, पूरे सदन की कार्यवाही को रोके रखना चाहता है। इसके लिये कुछ करना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा।

(कई सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाने से सदन में उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 89--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 90--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण), अनुदान संख्या 91-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) तथा अनुदान संख्या 92-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, कृपया आप अनुदान पेश करें।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की आज दिनांक 24 मार्च, 1988 की कार्यसूची की मद 12 की उप मदों (3) से (6) में उल्लिखित अनुदानों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशियों की पूर्ति हेतु जो मांगे सदन के पटल पर रख दी गयी हैं, उनमें क्रमशः अंकित धन-राशियों, जिनका कुल योग 1 अरब, 81 करोड़, 26 लाख, 60 हजार रुपये हैं, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जांय।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठ कर अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करें।

(कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं पेश करना चाहता है, इनका इसमें कोई रुचि नहीं है। अब मैं मद को पढ़ता हूं।

प्रश्न यह है कि विधान सभा की आज दिनांक 24 मार्च, 1988 की कार्यसूची की मद 12 की उप मदों (3) से (6) में उल्लिखित अनुदानों के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशियों की पूर्ति हेतु जो मांगे सदन के पटल पर रख दी गयी हैं, उनमें क्रमशः अंकित धनराशियों, जिनका कुल योग 1 अरब, 81 करोड़, 26 लाख, 60 हजार रुपये हैं, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जांय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(कई सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाने एवं शोर करने पर)

विश्वविद्यालय भान मन्दिर संस्कृत शाला, वाराणसी में पी० ए० सी० के जवानों द्वारा किये गए अवैध कब्जे के संबंध में वक्तव्य तथा प्रदेश के कतिपय जिलों में ओलावृष्टि से कृषि को हुई क्षति के सम्बन्ध में निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

आज की कार्यसूची की शेष मदों को मैं स्थगित करता हूं। अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
24 मार्च 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

अवर अभियन्ताओं की सूची जिनके गोपनीय प्रतिवेदन जल निगम मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं है ।

क्रम-सं0	अवर अभियन्ता का नाम	क्रम-सं0	अवर अभियन्ता का नाम
1	2	1	2
	सिविल सम्वर्ग		**सिविल सम्वर्ग**
1	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय	30	श्री रामदेव प्रसाद सिंह
2	श्री शकील अहमद	31	श्री भगवान प्रसाद
3	श्री राम रिक्षा शर्मा	32	श्री स्वतन्त्र कुमार मित्तल
4	श्री शिव कुमार शर्मा	33	श्री अनिरुद्ध सिंह
5	श्री रमा कान्त तिवारी	34	श्री वसीम अहमद
6	श्री राम कृपाल सिंह	35	श्री जनार्दन स्वरूप
7	श्री गजेन्द्र सिंह त्यागी	36	श्री सुशील कुमार शर्मा
8	श्री कृष्ण खरे	37	श्री ब्रह्मा प्रसाद
9	श्री इरफान अहमद खां	38	श्री रघुवीर सिंह
10	श्री नगीना साहू	39	श्री अली जफर
11	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह यादव	40	श्री अजीत कुमार
12	श्री जय कान्त सिंह	41	श्री अनिल कुमार
13	श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय	42	श्री जनार्दन सिंह
14	श्री कमलेश प्रसाद सिंह	43	श्री राम नरेश सिंह
15	श्री सन्तोष कुमार सिंह	44	श्री सत्य नारायण राम
16	श्री के0 एम0 सैमुअल	45	श्री जगदीश नारायण गुप्ता
17	श्री घनीराम कुरील	46	श्री रवि शंकर
18	श्री मुरलीधर गुप्ता	47	श्री सुधीर कुमार आनन्द
19	श्री विशाल अहमद	48	श्री दुखी प्रसाद
20	श्री उमेश सिंह भदौरिया	49	श्री गंगा धरना यादव
21	श्री हरिहर प्रसाद बाजपेई	50	श्री कुंवर लाल सचान
22	श्री सतीश चन्द्र	51	श्री सै0 खुर्शीद अहमद
23	श्री विनोद कुमार बन्सल	52	श्री जियाउद्दीन सिद्दीकी
24	श्री शिव गनेश अग्रवाल	53	श्री मोहम्मद साईद आलम
25	श्री कृष्ण गोपाल	54	श्री हरि मोहन अग्रवाल
26	श्री आलोक कुमार नन्दी	55	श्री पन्ना लाल पटेल
27	श्री मन्नू लाल गुप्ता	56	श्री कैलाश नाथ मिश्रा
28	श्री पवन कुमार गुप्ता	57	श्री राम कुमार राम
29	श्री लोकेश चन्द्र गुप्ता		
	विद्युत यांत्रिक सम्वर्ग		
1	श्री बृजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी	2	श्री हसनैन खां

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

सूची

क्रम -संख्या	नाम	पदनाम
1	2	3
	सर्वश्री--	
1	आर0 ए0 अन्सारी	फर्मासिस्ट
2	राम बिलास	वार्ड ब्वाय
3	सुखारी प्रसाद	स्वीपर
4	श्रीमती आर0 श्रीवास्तव	एच0वी0
5	श्रीमती आर0एस0 शर्मा	प्रसाविका
6	हरहंगी प्रसाद	चौकीदार
7	अवधेश तिवारी	चपरासी
8	जी0सी0 पाण्डे	एस0पी0एस0
9	बेचन प्रसाद	वैक्सीनेटर
10	स्वामी नाथ	वैक्सीनेटर
11	परमेश्वर प्रसाद	वैक्सीनेटर
12	जयराम शर्मा	वैक्सीनेटर
13	आर0एम0 शर्मा	सर्वेलेंस इंसपेक्टर
14	एस0पी0 श्रीवास्तव	सर्वेलेंस इन्सपेक्टर
15	के0यू0 खान	एल0ची0
16	वी0डी0 दुबे	हाउस विजीटर
17	वी0डी0 शर्मा	हाउस विजीटर
18	भगवती प्रसाद	हाउस विजीटर
19	आर0सी0 श्रीवास्तव	हाउस विजीटर
20	प्रेम प्रकाश	हाउस विजीटर
21	के0एन0 लाल	वी0एच0 डब्लू0
22	एस0एन0 प्रसाद	वी0एच0डब्लू0
23	पी0एन0 वर्मा	वी0एच0डब्लू0
24	आर0एस0 शर्मा	वी0एच0डब्लू0
25	एम0एल0 यादव	प्रसार शिक्षक
26	श्रीमती जे0 कौर	स्वा0 निरीक्षिका
27	नारायण सिह	ड्राइवर
28	जे0 लाल	स्वा0 सहा0
29	श्रीमती रामरती	प्रसाविका

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0- 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित श्री कु0 मानबेन्द्र सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या- 42 के उत्तर का संलग्नक।

झांसी जिले में सहायक निबन्धक द्वारा मार्च, 85 से अब तक निम्नलिखित समितियों से पूर्व नियुक्त प्रशासकों को उनके सम्मुख अंकित कारणों से हटाया गया:--

क्रम-सं0	नाम समिति	हटा गए प्रशासक का नाम	हटाए जाने का कारण
1	भण्डरा, कि0से0 सह0समिति।	मलखान सिंह	जनता की मांग पर।
2	पालरसाधन समि0	जानकी प्रसाद	पूर्व प्रशासक के बकायादार होने पर।
3	कटरा बरुआ सागर साधन।	शीतल प्रसाद (पर्यवेक्षक)	पूर्व प्रशासक के स्थानान्तरण हो जाने पर।
4	हंसारी साधन	भस्सूराम	जनता की मांग पर।
5	चुरारा साधन	स्वामी प्रसाद चौबे	शिकायत के कारण
6	खिसनी बुजुर्ग साधन	अवधेश प्रताप सिंह	पूर्व प्रशासक के बन्द हो जाने के कारण।
7	ढिपकई साधन	बाबूसिंह सेंगर (पर्यवेक्षक)	प्रशासनिक कारणों से।
8	सदर बाजार (ग्रसराय) साधन।	शाखा व्यवस्थापक	आर0बी0आई0 के निरीक्षण के अनुपालन में।
9	हेवतपुरा साधन	हरी मोहन शर्मा	समिति के कार्य में रुचि न लेने के कारण।
10	घुरैया साधन	चन्दन सिंह	बकायादार होने के कारण।
11	टोडी फतेहपुर साधन	सहकारी पर्यवेक्षक	प्रशासनिक कारणों से।
12	बामौर साधन	बाबू लाल	बकायादार होने पर।
13	नारायणपुरा साधन	रोशन सिंह	बकायादार होने पर।
14	एरच अपर साधन	ए0डी0ओ0(सी0) बामौर	ए0डी0ओ0 (सी0) के स्थानान्तरण हो जाने पर।
15	झांसी क्रय-विक्रय सह0समिति।	ए0डी0सी0ओ0 झांसी	ए0डी0सी0ओ0 के स्थानान्तरण हो जाने पर।
16	चिरगांव क्रय-विक्रय सह0समिति।	ए0डी0ओ0(सी0) चिरगांव।	ए0डी0ओ0(सी0) के स्थानन्तरण हो जाने पर।
17	मोठ क्रय-विक्रय सह0 समिति।	ए0डी0ओ0(सी0) मोठ।	ए0डी0ओ0(सी0) के स्थानान्तरण हो जाने पर।

1	2	3	4
18	मऊरानीपुर त्रय-वित्रय सह0 समिति।	ए0डी0सी 0ओ0 मऊरानीपुर।	प्रशासनिक कारणों से
19	गनेश बाजार उप-सह0समि0 झांसी।	सी0ओ0(उप0)	स्थानातन्रण हो जाने से
20	झांसी डिस्ट्रिक बोर्ड इम्प्लाइज समिति, झांसी।	मुलायम सिह, अध्यापक	प्रशासनिक कारणों से
21	लक्ष्मी यातायात सह0 समिति, झांसी।	सी0ओ0(उप0)	स्थानान्तरण हो जाने से
22	एस0पी0आई0 वेतन भोगी सह0 समिति, झांसी।	राजेन्द्र प्रकाश ,प्रवक्ता	संचालक मण्डल के त्याग-पत्र दे देने के कारण
23	बबीना केन्ट वेतन-भोगी सह0 समिति, लि0।	संचालक मण्डल कार्यरत था	कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण
24	बी0ए0च0ई0एल0 प्रा0 उ0प्र0 सह0 समि0, झांसी।	ए0डी0सी0ओ0, झांसी	स्थानान्तरण हो जाने के कारण
25	सकरार श्रम संविदा समिति लि0।	संचालक मण्डल कार्यरत था	संचालक मण्डल के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर

निम्नांकित समितियों के हटाए गये प्रशासकों को पुनः उसी समिति में उनके सम्मुख अंकित अवधि के बाद, अंकित कारणों से, पुनः प्रशासक नियुक्त किया गया--

क्रम सं0	समिति का नाम	नाम प्रशासक जिसे पुनः उसी समिति में प्रशासक नियुक्त किया गया	अवधि जिसके बाद पुनः प्रशासक नियुक्त किया गया	पुनः उसी समिति में प्रशासक नियुक्त किए जाने का कारण
1	2	3	4	5
1	पालर साधन	जानकी प्रसाद	18 दिन बाद	बकाया अदा कर देने पर।
2	हैवतपुरा साधन	हरी मोहन शर्मा	1 माह के बाद	शिकायतें प्रमाणित न हो पाने के कारण।
3	नारायणपुरा साधन	रोशन सिह	3 माह 23 दिन के बाद।	बकाया अदा कर देने पर।
4	झांसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इम्प्ला0को0सो0, झांसी।	दुर्ग सिह	2 माह 5 दिन के बाद।	शिकायती आरोप सिद्ध न होने के कारण।

उपरोक्त समस्त प्रशासको को उनके द्वारा अर्हतायें अर्जित कर लेने के कारण ही पुनः उसी समिति का प्रशासक नियुक्त किया गया।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0-60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर।)

तहसील मुहम्मदाबाद के समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित किए जाने का विवरण वर्ष 1985-86 में लाभान्वित किए गए ग्रामों की स्थिति।

जनपद	तह0/विकास खण्ड	ग्राम का नाम	अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4
गाजीपुर	मु0बाद/वाराचवर	1--सागापाली मुरारसिंह	4
		2--टोडरपुर	5
		3--सुरेमनपुर ..	1
		4--सिसईतौफोर ..	2
		5--मौरा ..	6
		6--ताजपुर ..	27
		7--चक फातिमा ..	4
		8--शिचिरपुर ..	1
		9--होरिलपुर साज ..	1
	मु0बाद/भावरकोल	10--धरमपुर ..	1
		11--कोटिया कोडर ताल ..	3
		12--लोवाडीह ..	7
		13--चमरारी ..	1
		14--चकथमसेन ..	1
	मु0बाद0/को0बाद	15--मैसड़ा सुखत ..	3
		16--महमपुर ..	2
		17--महिशलपुर ..	7
		18--देवली ..	11
		19--असना ..	5
		20--दुघौड़ा ..	7
		21--महिद्दीनपुर ..	2
		22--दौलापुर ..	1
		23--बरहटा ता0 खानपुर ..	1
	मु0बाद/का0बाद	24--कमालपुर बुजर्ग ..	1
		25--मुसल्लाहपुर ..	4
		26--बनवारपुर ..	1
		27--सिडरोडीह ..	5

1	2	3	4
	मु0बाद/मु0बाद	28--चक असदुल्लाह ..	1
		29--हेन्सी ..	4
		30--चक सलेम उर्फ नकटा ..	3
		31--चक गनी ..	2

वर्ष 1986-87 में लाभान्वित ग्रामों की स्थिति

	मु0बाद/वाराचवर	32--न्यून उर्फ उचाडीह ..	8
		33--गोबिन्दुपुर ..	7
		34--बोबोपुर खास ..	5
		35--उतराव .	15
		36--टंडवा ..	1
	मु0बाद/भावरकोल	37--सेमरिया ..	1
		38--हेमराजपुर ..	2
		39--चांदपुर .	4
		40--ज्ञानपुर .	2
	मु0बाद/को0बाद	41--मझोवा ..	2
	मु0बाद/को0बाद	42--चकदरिया ..	2
		43--महेशपुर कला	11
	मु0बाद/मु0बाद	44--चक अब्दुल्ला	1
		45--चकफराद ता0 सरासन	5
		46--नाउरदेवर	1
		47--चक जलाल कवरो उर्फ मोहनपुर	3

वर्ष 1987-88 में लाभान्वित किए गए ग्रामों की स्थिति

	मु0बाद/वाराचवर	48--कन्धौरा खुर्द ..	4
		49-- हटवर मुरार सिह ..	3
		50--पखनपुर ..	5
		51--दिलसादपुर ..	3
		52--सेमउर .	4
		53--बंधुई ..	4
		54--मुबारकपुर .. पाइप लाइन द्वारा परसा ग्राम समूह पेयजल योजना से लाभान्वित है।	

1	2	3	4
	मु0बाद/माबरकोल	55--शेरपुर कलां ..	33
		56--फ़िरोजपुर ..	7
		57--पारों ..	2
		58--लोगा मुसाहिब ..	14
		59--मुडेरा बुजुर्ग ..	4
		60--वसनियां	4
		61--शाहपुर उर्फ शाहपुरा ..	1
		62--बोरमानपुर ..	3
		63--विलरियां ..	2
		64--गोंडोखास ..	3
		65--मुसौला ..	3
		66--मुक्तारपुर चर्खा ..	2
		67--आमघाट ..	3
		68--निकरोजपुर ..	3
	मु0बाद/को0बाद	69--जलालपुर ता0 सिघौल ..	2
	मु0बाद/का0बाद	70--मरदानपुर ..	4
		71--महवारा खास ..	8
		72--साहबपुर ..	2
		73--शाहपुर उसरो ..	5
	मु0बाद/मु0बाद	74--चक मुमुन्द उर्फ वरसा ..	2
		75--छतरपुर ..	4
		76--मिरानपुर उर्फ मरियानडोह	8
		77--चक वाहा ..	2
		78--नसीरपुर उर्फ मुमलागोचक ..	2
		79--लखीमपुर ..	3
		80--सरासन ..	1
		81--चक गोलना खिजिर	4
		82--सराय गन्थ	1
		83--सुल्तानपुर बाढ़	2
		84--लालूपुर बाढ़	3

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0प्र0सं0 107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 5 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (1988) के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–107 के उत्तर का संलग्नक––

मांग	कृत कार्यवाही
1––सरकार और प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार बन्द हो।	इस मांग में किसी विभाग विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो सुविधायें जनपद के अन्य क्षेत्रों को उपलब्ध करायी गयी हैं वह वहां भी उपलब्ध हैं।
2––कस्बे के अन्दर सफाई और मच्छरों के मारने हेतु दवा के छिड़काव की समुचित व्यवस्था की जाय।	टाउन एरिया गोसाईगंज के भीतर सफाई की समुचित व्यवस्था है। मच्छरों को मारन हेतु पूरे नगर में डी0डी0टी0 छिड़काव किया जाता है।
3––कस्बों के सभी वार्डों में शौचालय (सार्वजनिक) की व्यवस्था और पेशाब-घरों का निर्माण कराया जाय।	सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु शासन से धन की मांग की गयी परन्तु सामान्यत शासन द्वारा इस मद में टाउन एरिया कमेटियों को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है। कटरा वार्ड में टाउन एरिया द्वारा शीघ्र ही सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जायगा। पेशाब-घरों का निर्माण भी शीघ्र कराने का प्राविधान किया गया है।
4––कस्बे के सभी मुहल्लों और गलियों में रोशनी की व्यवस्था की जाय।	टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने कोष से गालियों में विद्युत प्रकाश की व्यवस्था सुचारु रूप से कर सके। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते ही जिन गलियों में विद्युत प्रकाश की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है. करा दी जायगी।
5––गद्दोपुर विद्युत सब स्टेशन के भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय।	इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अधिकरियों को उचित निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दे दिये गये हैं।
6––पानी की सप्लाई ठीक करने के लिये शीघ्र एक नये नलकूप और टंकी का निर्माण कराया जाय।	नगरवासियों को पेयजल की व्यवस्था हेतु नलकूप नम्बर–2 का निर्माण कराया जा चुका है। नव-निर्मित नलकूप से पुरानी टंकी तक पाइप लाईन बिछाने का कार्य जल निगम. फैजाबाद द्वारा सम्पन्न हो चुका है। शीघ्र ही जलापूर्ति प्रारम्भ हो जायगी।
7––राजकीय कन्या इन्टर कालेज की चहार-दीवारी का निर्माण कराया जाय और शौचालय के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाय।	प्रश्नगत कालेज जिला परिषद, फैजाबाद के किराए के भवन में चल रहा है। चहारदीवारी एवं शौचालय के निर्माण कार्य को पूरा करान के लिये जिला परिषद को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

8—कस्बे में चलने वाले मकतबों की सरकारी सहायता बढ़ाई जाय।	इस सम्बन्ध में समीक्षा करके प्रस्ताव जिला योजना के अन्तर्गत रखा जायगा।
9—बढ़ाई गयी तहबाजारी समाप्त की जाय।	टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बढ़ी हुई तहबाजारी को समाप्त किया जाना उचित नहीं है। दूध पर दर अधिक थी जिसे संशोधित करके कम कर दिया गया है।
10—रोडवेज की सभी बसों को गोसाईं गंज में रोका जाय।	फैजाबाद क्षेत्र की सभी बसें गोसाईंगंज में रुकती है। केवल वाराणसी, आजमगढ़, बलिया डिपो की एक-एक बस तथा गाजीपुर डिपो की दो बसें नहीं रुकती हैं क्योंकि यह बहुत लम्बी दूरी की सेवाएं हैं।
11—गोसाईंगंज और बालापैकोली के बीच मडहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।	गोसाईगंज—बालापैकोली मार्ग में एक पुराना पाईप सेतु है जिसके पुनर्निर्माण के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से कार्यवाही अग्रसर है।
12—अवैध शराब और जुए के अड्डे को समाप्त किया जाय।	प्रभावी अंकुश लगाया गया है। समय-समय पर जांच की जाती है।
13—अपराधों पर अंकुश लगाया जाय।	जिलाधिकारी द्वारा पुलिस बल को आदेश दे दिए गए हैं।
14—स्थानीय थाने के पूरे स्टाफ का स्थानान्तरण करके यहां के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय।	ज्ञापन प्राप्ति के पश्चात् थाना गोसाईंगंज के थानाध्यक्ष, हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल का स्थानान्तरण अन्यत्र थानों को किया जा चुका है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मांग में किसी तथ्य विशेष एवं कर्मचारी विशेष का उल्लेख न होने के कारण जांच कराया जाना उचित नहीं समझा गया।
15—कस्बे के लेखपाल श्री केसरी सिंह को मुअत्तल करके उनके भ्रष्टाचार की जांच कराई जाय।	जांच की जा रही है।
16—कस्बे के जिन लोगों ने फर्जी प्रमाणपत्र प्राप्त करके आरक्षण का लाभ उठाया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।	जांच की जा रही है।

पी०एस०यू०पी०—एल० 64 वि०सभा (91)—1988—813।